दैनिक
नवप्रदेश
आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्
प्रदेश के साथ पूरा देश...

www.navpradesh.com | रायपुर, गुरुवार 17 दिसंबर 2020, शुक्ल पक्ष तृतीया, विक्रम संवत-2077 वर्ष-06 अंक-283 पृष्ठ-08 मूल्य-3 रुपए | रायपुर, बिलासपुर, भोपाल, जबलपुर व रांची से एक साथ प्रकाशित

केंद्र हमारी कृषि नीति अपना ले तो किसान आंदोलन एक दिन में खत्म: भूपेश

***रायपुर।** मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि भारत सरकार छत्तीसगढ़ के कृषि नीति को अपनाना ले तो एक दिन में किसानों का आंदोलन समाप्त हो जाएगा। देश के किसान अपने नहीं आम उपभोक्ता की लड़ाई लड़ रहा है। इन कानूनों से भविष्य में किसानों और आम आदमी को होने वाली दिक्कत के मद्देनजर सरकार को इस पर तत्काल निर्णय लिये जाना चाहिए। श्री बघेल आज यहां छत्तीसगढ़ सरकार के 2 साल पूरे होने के पूर्व संध्या पर संपादकों से बातचीत कर रहे थे। इस अनौपचारिक बातचीत में उन्होंने कहा कि 2 साल पहले छत्तीसगढ़ की देशव्यापी चर्चा सिर्फ नक्सल मामलों को लेकर होती थी लेकिन आज दो साल बाद छत्तीसगढ़ की चर्चा किसानों, गोधन योजना, पर्यटन, गोबर खरीदी से लेकर शिक्षा और स्वास्थ्य तक चर्चा हो रही है। नक्सलियों से बातचीत के सवाल पर सीएम ने कहा कि जो भारतीय संविधान को मानेगा उनसे चर्चा होंगी पहली शर्त ये है कि भारतीय संविधान को माने बाकि बाते बाद में।*

कोरोना काल के दरमियान केंद्र सरकार से मिले सहयोग को लेकर किये गए सवाल पर सीएम ने कहा कि हमने तो मांगे 30 करोड़ थे लेकिन मिली सिर्फ पीपीई किट और आरटीपीसीआर कीट बाकि व्यवस्थाएं हमने राज्य में अपने उपलब्ध संस्थानों से पूरी की। जीएसटी के सवाल पर सीएम ने कहा कि अंततः केंद्र सरकार ने वहीं किया जिसकी हम सलाह दे रहे थे। उन्होंने कहा कि मई 2020 में राज्य का उद्योगिक उत्पादन 26 प्रतिशत बढ़ा और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि हमारे बिना किसी सम्मिट के 50 हजार करोड़ के एमओयू हुवें और औद्योगिक घरानों के हाल ये है कि अब छत्तीसगढ़ में उद्योग लगाने जमीन खोज रहे है और हमारे पास जमीन नहीं है। बस्तर में उद्योग लगाने जमीन नहीं मिल पा रही है। आने वाले 3 वर्षों के ब्लूप्रिंट के सवाल पर सीएम ने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर्यटन के अलावा राज्य के मानव संसाधन विकास पर सरकार का फोकस रहेगा।

आज बेबाक

म हाराष्ट्र की ठाकरे सरकार ने महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को मद्देनजर रखकर शक्ति एक्ट के मसौदे को मंजूरी दी है। जिसमें बलात्कारियों के लिए मृत्यु दंड का प्रावधान किया गया है। इसके लिए ठाकरे सरकार साधुवाद की पात्र है। महाराष्ट्र सरकार का यह कदम न सिर्फ प्रशंसनीय है बल्कि अन्य राज्यों के लिए अनुकरणीय भी है। यदि सभी राज्य सरकारें रेपिस्टों के खिलाफ ऐसी कड़ी सजा का मसौदा बनाएंगे तो केन्द्र सरकार को विवश होकर रेपिस्टों को मौत की सजा देने का कानून बनाना ही पड़ेगा। कायदे से तो ऐसे दरिंदों को सरेआम फांसी पर लटकाने का प्रावधान होना चाहिए।

सुको ने केंद्र, पंजाब व हरियाणा को नोटिस जारी कर मांगा जवाब

किसान आंदोलन पर आज फिर होगी सुनवाई

नई दिल्ली (वार्ता)। केंद्र सरकार के तीन कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन का आज 21वां दिन होने आया है लेकिन कोई रास्ता निकलता नहीं दिख रहा है। न तो सरकार कानून वापस लेने के जरा भी संकेत दे रही है न किसान धरना छोड़ने के। इस बीच आज सुप्रीम कोर्ट ने बॉर्डर पर किसानों हटाए जाने की याचिक पर सुनवाई हुई।सुप्रीम कोर्ट ने मामले को लेकर केंद्र सरकार, पंजाब और हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब

मांगा है। मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे और जस्टिस एएस बोपन्ना और वी रामासुब्रमण्यम की खंडपीठ ने सुनवाई की।

बता दें कि कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली बॉर्डर पर हो रहे किसानों के आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी जिसपर आज सुनवाई हुई है। कानून के छात्र ऋषभ शर्मा ने ये याचिका दी थी। इस याचिका में दिल्ली बॉर्डर से किसानों को हटाने की मांग है।

किसानों के हित के लिए काम करें केंद्र और राज्य सरकारें: नायडू

नई दिल्ली (वार्ता)। उप राष्ट्रपति एम. वैंकैया नायडू ने केंद्र और राज्य सरकारों से किसानों के हित में काम करने का आह्वान करते हुए बुधवार को भरोसा जताया कि विरोध कर रहे किसानों के मुद्दों को जल्द ही तर्कसंगत समाधान तलाश लिया जाएगा। श्री नायडू ने हैदराबाद में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि किसान और सरकार दोनों बातचीत करने के इच्छुक हैं और संबंधित मुद्दों का जल्दी ही समाधान कर लिया जाएगा। देश का विकास किसान के विकास से जुड़ा है इसलिए हर किसी को किसान का सहयोग करना चाहिए। उन्होंने किसानों की सराहना करते हुए कहा कि कोराना महामारी के दौरान उन्होंने रिकार्ड खाद्यान्न उत्पादन किया है।

सौजन्य भेंट...

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से आज यहां उनके निवास कार्यालय में जिला जशपुर से आए अगरिया समाज के एक प्रतिनिधि मंडल ने सौजन्य मुलाकात की। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को उपहार स्वरूप मांदर भेंट किया।

267 अधिकारी-कर्मी के जाति प्रमाण पत्र मिले फर्जी

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य गठन के उपरांत फर्जी जाति के आधार पर शासन के विभिन्न विभागों में कर्मचारियों एवं अधिकारियों के कार्य करने की अनेकों बार शिकायत मिली। जिस पर छत्तीसगढ़ शासन के मुख्य सचिव के निर्देशानुसार उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण जाति छानबीन समिति द्वारा जांच परीक्षण के उपरांत विभिन्न विभागों से 267 लोग फर्जी जाति के आधार पर सेवा देते पाए गए। ■ शेष पृष्ठ 6 पर

खास- खबर

संसद का शीतकालीन सत्र टालना लोकतंत्र की हत्या: कांग्रेस

नई दिल्ली (वार्ता)। कांग्रेस ने सरकार के संसद का शीतकालीन सत्र नहीं बुलाने को दुर्भाग्यपूर्ण करार देते हुए इसे लोकतंत्र की हत्या बताया है और कहा है कि जनता से जुड़े विपक्ष के सवालों से बचने के लिए उसने सोचसमझ कर यह निर्णय लिया है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने बुधवार को यहां संवाददाताओं के सवाल पर कहा कि जब देश में स्कूल कॉलेज खुल सकते हैं, रेस्टोरेंट एवं बार खुल सकते है।

आरुषि निशंक को ग्लोबल वाटर वुमेन इंटरप्रेन्योर पुरस्कार मिला

नई दिल्ली (वार्ता)। देश की प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना और स्पर्श गंगा अभियान की राष्ट्रीय संयोजक आरुषि निशंक को ग्लोबल वाटर वुमेन इंटरप्रेन्योर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। द एनर्जी एन्ड इनवायरमेंट फाउंडेशन द्वारा गंगा स्वच्छता संरक्षण तथा संवर्द्धन के लिए यह पुरस्कार आज एक वर्चुअल कार्यक्रम में यह सम्मान प्रदान किया गया।

संभल में बस और टैंकर में भिड़ंत,आठ मरे 36 घायल

सम्भल(वार्ता)। उत्तर प्रदेश में संभल के धनारी क्षेत्र में बुधवार को घने कोहरे के बीच आगरा-मुरादाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर रोडवेज बस और गैस टैंकर के बीच हुयी भिड़ंत में आठ यात्रियों की मौत हो गयी जबकि 36 से अधिक गंभीर रूप से घायल हो गये। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना में मारे गये लोगों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है जबकि घायलों के समुचित इलाज करने के निर्देश दिये हैं।

कई टेलीकॉम वेंडर्स किए जा सकते हैं ब्लैकलिस्ट

नई दिल्ली (वार्ता)। पूर्वी लद्दाख में भारत-चीन के बीच जारी सीमा विवाद के बीच केंद्र सरकार ने बुधवार को ऐलान किया है कि वह कुछ 'विश्वसनीय' टेलीकॉम वेंडर्स की लिस्ट बनाएगी, जहां से टेलीकॉम से जुड़े उपकरणों को खरीदा जा सकेगा। सरकार के इस कदम से अटकलें लगाई जा रही हैं कि आने वाले दिनों में चीन के वेंडर्स को झटका लग सकता है। सरकार इस लिस्ट के जरिए कई टेलीकॉम वेंडर्स को ब्लैकलिस्ट भी कर सकती है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, कैबिनेट ने टेलीकॉम क्षेत्र के लिए नेशनल सिक्योरिटी डायरेक्टिव्स को मंजूरी दे दी है।

तलाक के लिए एक कानून की मांग पर सुको हुआ सतर्क

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सभी धर्मों के लिए तलाक और गुजारा भत्ते का एक समान आधार लागू करने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई की। इसके तहत कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी किया और कहा कि इस तरह की मांग का पर्सनल लॉ पर असर होगा। भाजपा नेता अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा दायर दो अलग-अलग जनहित याचिकाओं में कहा गया है कि सभी धर्मों की महिलाओं के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए और अगर कुछ धार्मिक प्रथाओं ने उन्हें उनके मौलिक अधिकारों से वंचित किया है, तो ऐसी प्रथाओं को खत्म किया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि हमें इस मामले पर सावधानी से सोचना होगा। सभी धर्मों के लिए तलाक के समान आधार और सभी धर्मों के लिए गुजारे भत्ते के समान नियम लागू करने की मांग वाली ये याचिकाएं वकील अश्वनी कुमार उपाध्याय ने दाखिल की हैं। इन याचिकाओं पर सीनियर एडवोकेट पिंकी आनंद व मीनाक्षी अरोड़ा ने बहस की।

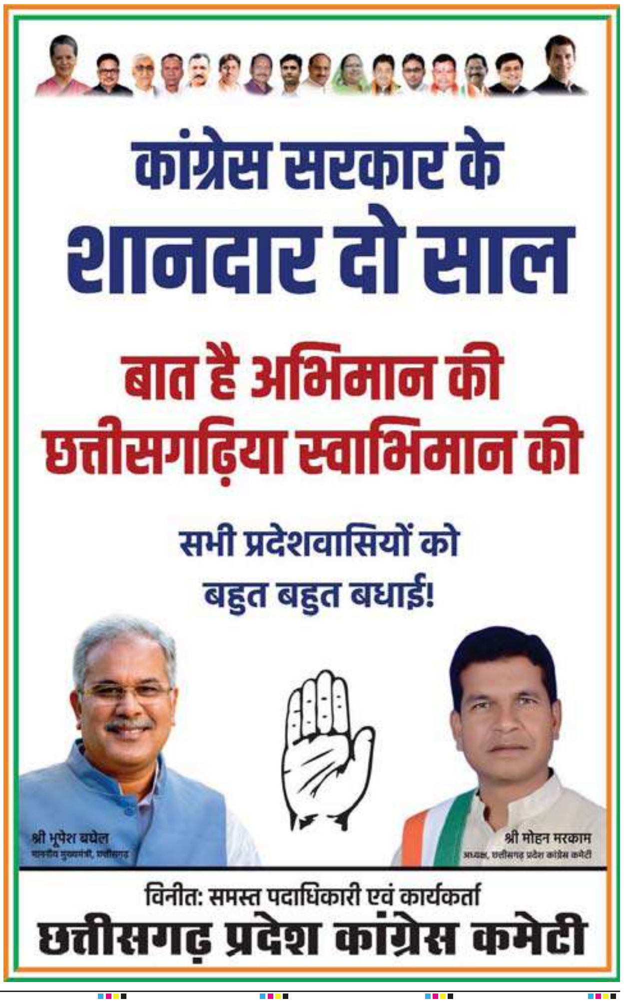

■ न्यूज गैलरी

पटरियों से भरी ट्रॉली टकराई, दुर्घटना टली

कुम्हारी। बीएसपी पॉवर प्लांट भिलाई से रायपुर जा रही ट्रक क्रमांक सीजी 07 सीए 4727 में अचानक स्टेरिंग फेल हो जाने से बड़ी दुर्घटना होने से टल गई लेकिन ट्रक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि ट्रक ड्राइवर की सूझबूझ से कई लोगों की जान भी बच गई लेकिन ट्रक का स्टेरिंग काम नही करने से ट्रक हनुमान मंदिर के चबूतरें में जा घुसी जिससे चबूतरा का एक हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और ट्रक के सामने हिस्से में भी टूट फुट हो गई।

आयुक्त सर्वे ने दी जिम्मेदारी

रिसाली। सुविधा और समस्याओं का निराकरण करने अधिकारी वार्ड के निर्धारित स्थान तक पहुंचेंगे। प्रदेश के गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू के मंशानुरूप एवं निगम आयुक्त प्रकाश कुमार सर्वे के निर्देश पर आज रूआबांधा स्थित यादव चौक में जनसमस्या शिविर का आगाज किया गया। निगम के नोडल अधिकारी रमाकांत साहू शिविर स्थल पर पहुंचकर वार्डवासियों से प्राप्त आवेदनों का त्वरित निराकरण के निर्देश निगम के सहा. अभियंता व शिविर के नोडल अधिकारी बीके सिंह एवं उपअभियंता हिमांशु कावड़े को दिए। शिविर स्थल पर निगम अधिकारी एवं कर्मचारियों के साथ अन्य मौजूद थे।

बुजुर्ग महिला का हाथ पकड़कर देखी समस्या

नवप्रदेश संवाददाता

दुर्ग। महापौर धीरज बाकलीवाल ने आज पटरीपार क्षेत्र के स्लम एरिया शक्ति नगर, तितुरडीह, उड़िया बस्ती, आदित्य नगर, कैलाश नगर का भ्रमण कर वहॉ की सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। बस्तियों में निवासियों के घरों तक जाकर उनसे मुलाकात कर मूलभूत समस्याओं की जानकारी ली। इस दौरान कैलाश नगर में आदित्य नगर की बुजुर्ग महिला ने नाली की समस्या से महापौर को अवगत कराया। महापौर ने उसका हाथ पकड़कर नाली की समस्या को मौके पर जाकर देखा। भ्रमण के दौरान उन्होनें आदित्य नगर स्थित मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय का भी निरीक्षण कर कार्यालय में आने वाले सभी आवदनों का निराकरण करने कहा। शहर के आम नागरिकों से अपील कर कहा कि मुख्यमंत्री बघेल की मंशा के अनुरुप आम नागरिकों को उनके वार्ड क्षेत्र में ही मूलभूत सुविधाऍ करायी जाए उनकी समस्याओं का निराकरण किया जावे इस दृष्टि से मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय का स्थापना किया गया है। भ्रमण के दौरान निगम आयुक्त इंद्रजीत बर्मन, पार्षद अमित देवांगन, निर्मला साहू, कांशीराम रात्रे, एल्डरमेन अजय साहू, सहा अभियंता जगदीश केशरवानी, सहा भवन अधिकारी गिरीश दीवान, उपअभियंता अर्पणा मिश्रा, भीमराव, स्वास्थ्य अधिकारी दुर्गेश गुप्ता, बीरेन्द्र ठाकुर, अधिकारी प्रकाशधर दीवान सहित अन्य उपस्थित थे।

सुविधा के लिए मिलेगी एंबुलेंस

नवप्रदेश संवाददाता

भिलाई। निगम क्षेत्र में स्वास्थ्यगत सुविधाओं को ध्यान में रखते हुये इसके विस्तारीकरण के लिये नया मिनी एम्बुलेंस महापौर एवं विधायक देवेंद्र यादव के प्रयासों से मिला है। जिसे आज महापौर ने निगम परिसर से हरी झंडी देकर रवाना किया। एंबुलेंस के लिये विधायक ने अपनी विधायक निधि से 7.22 लाख स्वीकृति किये है। मिनी एम्बुलेंस होने के कारण यह छोटे.छोटे गली मोहल्ले में आसानी से पहुंच सकेगी। इस वाहन को मरीजों के उपयोग में लाने के लिये निगम के वाहन शाखा से संपर्क करना होगा। एक फोन पर यह घरों में उपलब्ध हो जाएगी। महापौर ने हरी झंडी दिखाने के बाद यह अपनी सुविधा प्रदान की। महापौर यादव का कांसेप्ट था कि एक ऐसा एम्बुलेंस हो जो सकरी गलियों में घरों तक पहुंचकर बीमार लोगो को जल्दी से अस्पताल पहुंचा सके। निगम से इस सुविधा की शुरूआत आज से हो गई है। बीमार एवं स्वास्थ्यगत संबंधी जरूरत के लिये सभी इसका सहज उपयोग कर पायेंगे। इस वाहन से निगम क्षेत्र के रहवासियों को बड़ी राहत मिलेगी। कई दफा अस्पतालों में एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं होने से इसकी उपयोगिता महत्वपूर्ण होगी। मरीजों के लिए एम्बुलेंस घर तक पहुंचेगी।

निगम का पुनरीक्षित बजट पेश

नवप्रदेश संवाददाता

भिलाई.03। निगम भिलाई चरौदा का सामान्य सभा निगम सभागार कक्ष में सभापति विजय जैन के अध्यक्षता में संपन्न हुआ। सामान्य सभा में पुनरीक्षित वर्ष 2019.20 एवं अनुमानित वर्ष 2020.21 बजट महापौर चंद्रकांता माण्डले द्वारा सदन में पढ़ा गया। जिसे सर्वसम्मति से पारित किया गया है। महापौर ने सामान्य सभा में अपने संबोधन में कहा कि यह मेरे कार्यकाल का चौथे बजट है बजट में निगम के मूलभूत सुविधा से लेकर बड़े कार्यों को समाहित है। प्रकाश व्यवस्था को लेकर सभी सम्मानित पार्षदों द्वारा सभा में बात रखी गई। अधिकांश वार्डो में लाईटें बंद रहने का शिकायत पार्षदों द्वारा किया। जिस पर निगम आयुक्त कीर्तिमान सिंह राठौर द्वारा प्रकाश व्यवस्था के लिए राज्य शासन से अनुदान प्राप्त होने की बातें कहीं और सम्मानित पार्षद से एलईडी लाईट लगाये जाने के संबंध में सुझाव मांगे भी मांगे। वार्ड 2 के पार्षद सुरज बंछोर ने सामान्य सभा में अपनी बात रखी कि ग्राम हथखोज के कन्या स्कूल में दसवीं, बारहवी की छात्राएं शिक्षारत् हैं। लेकिन आज भी यहां एक भी शौचालय नहीं है। निगम हमसे शिक्षा उपकर ले रहें हैं लेकिन अधिकांश स्कूलों में शौचालय नहीं होना विडंबना है। इस पर महापौर माण्डले ने कहा कि निगम के 40 वार्डो से शिक्षा उपकर लेते हैं और सभी वार्डो में उस राशि का उपयोग भी शौचालय निर्माण में की जा रही है जिस स्कूल में शौचालय नहीं है वहां का टेंडर लगा हुआ है जल्द से जल्द सभी स्कूलों में शौचालय उपलब्ध हो जावेंगी। सभापति द्वारा भी स्कूल में शौचालय का नहीं होना गंभीर बताया।

रमन व साय का बयान हास्यास्पद : राजेन्द्र

नवप्रदेश संवाददाता

दुर्ग। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री राजेंद्र साहू ने पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंहए विष्णु देव साय सहित प्रदेश के भाजपा नेताओं के बयान पर पलटवार करते हुए सवाल दागे हैं। राजेंद्र ने कहा कि प्रदेश के भाजपा नेताओं द्वारा बार.बार बयान दिया जा रहा है कि प्रदेश की जनता कांग्रेस सरकार द्वारा घोषणा पत्र में किये गए वायदों को पूरा होते देखना चाहती है। भाजपा नेताओं का बयान पूरी तरह हास्यास्पद है। राजेंद्र ने कहा कि डॉ. रमन सिंह समेत सभी भाजपा नेता बताएं कि 2003ए 2008 और 2013 के विधानसभा चुनावों में भाजपा द्वारा किए गए कितने वायदों को तत्कालीन रमन सरकार ने पूरा किया। यह भी बताएं कि तीन.तीन विधानसभा चुनाव जीतने के बाद 15 साल छत्तीसगढ़ सरकार चलाने वाली भाजपा कितने वादों से पूरी तरह मुकर गई। राजेंद्र ने कहा कि 2100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी, किसानों की कर्ज माफी, 300 रुपए प्रति क्विंटल की दर से किसानों को बोनस, आदिवासी परिवारों को गाय देनेए किसानों को 5 हार्स पावर तक बिजली माफ, अनुसूचित जाति जनजाति के परिवारों को दो हेक्टेयर जमीन देने सहित अनेक वायदे किए गए थे लेकिन इन वायदों को रमन सरकार के साथ.साथ भाजपा के संगठन नेता भी भूल गए। आरोप लगाया कि जनता का हित करने की बजाय चावल घोटाला, बिजली बिल में बढ़ोतरी, आदिवासियों की जमीन को उद्योगपतियों को देना, अनुसूचित जाति के आरक्षण को घटाने का काम भाजपा सरकार ने किया। 15 साल तक प्रदेश की खनिजए वन संपदा का दोहन होने के साथ ही जमकर भ्रष्टाचार और गड़बड़ी का खेल होता रहा। प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने अपने घोषणा पत्र में किए गए अधिकांश वायदे मात्र दो साल में ही पूरा कर दिये हैं। किसानों की कर्ज माफीए बिजली बिल हाफ, 25 सौ रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी आदि कई शामिल है।

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा

पंजी. 202012100400277

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक श्री रवि शर्मा आ. स्व. शंकरलाल जी शर्मा निवासी गंजपारा दुर्ग द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम बोरसी प.ह.न. 23 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 338/7 रकबा 0.014 हें/ 1540 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 11.12.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — **अनुविभागीय अधिकारी, दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)**

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा

पंजी. 202012100400282

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक श्री विकलेरा यादव अन्य 01 आ. कमल यादव निवासी बैजनाथ पारा दुर्ग द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम बोरसी प.ह.न. 27 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 338/24 रकबा 0.0120 हें/ 1335 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 11.12.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — **अनुविभागीय अधिकारी, दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)**

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा

पंजी. 202012100400266

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक श्री पूर्णानंद साहू आ. सुरेन्द्र कुमार साहू निवासी दल्लीराजहरा जिला बालोद द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम उरला प.ह.न. 07 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 826/37 रकबा 0.009 हें/ 980 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 11.12.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — **अनुविभागीय अधिकारी, दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)**

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा

पंजी. 202012100400290

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक श्री सगेन्द्र ठाकुर उर्फ सतेन्द्र आ. स्व. बलीराम सिंह निवासी आर्यनगर स्टेशन रोड दुर्ग द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम सिकोला प.ह.न. 08 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 193/62 रकबा 0.0180 हें/ वर्गफीट के व्यवसायिक प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 14.12.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — **अनुविभागीय अधिकारी, दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)**

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा

पंजी. 202012100400290

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक श्री सगेन्द्र ठाकुर उर्फ सतेन्द्र आ. स्व. बलीराम सिंह निवासी आर्यनगर स्टेशन रोड दुर्ग द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम सिकोला प.ह.न. 08 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 193/60 रकबा 0.0740 हें/ वर्गफीट के व्यवसायिक प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 14.12.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — **अनुविभागीय अधिकारी, दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)**

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला - दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा-पत्र

रा.प्र.क्र. ई-कोर्ट | पक्षकार का नाम श्रीमती शैलजा पवार | ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन नं. 202012100400304

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदिका श्रीमती शैलजा पवार पति श्री अरविंद पवार निवासी म.न. 277 सड़क नं. 03 मैत्रीकुंज भिलाई तहसील व जिला दुर्ग द्वारा नीचे अनुसूची में दर्शित भूमि को उसके सम्मुख दर्शित प्रयोजन के लिए व्यपवर्तन/पुर्ननिर्धारण हेतु आवेदन पत्र छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 172 सहपठित धारा 59 (2)(5) तहत् आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया हैं, जिसके संबंध में इस न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन हैं।

अनुसूची

ग्राम/प.ह.नं.जहां भूमि स्थित है	खसरा नंबर	रकबा	प्रयोजन
ग्राम रिसाली प.ह.न. 22 तह. व जिला दुर्ग	619/28	0.010 हें 690 वर्गफीट	आवासीय

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार की कोई दावा/ आपत्ति हो तो प्रकरण उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/ आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 14.12.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — **अनुविभागीय अधिकारी, दुर्ग, जिला दुर्ग**

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा

पंजी. 202012100400

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक श्री खिलेन्द्र कुमार सोनवंशी आ. पुनीतराम सोनवंशी निवासी ग्राम मोहभट्ठा तह. पाटन द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम उमरपोटी प.ह.न. 42 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 998/8 रकबा 0.013 हें/ 1400 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 11.12.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — **अनुविभागीय अधिकारी, दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)**

न्यायालय नायब तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा-पत्र

मा.क्र./अ-06/ वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक संजीव रंजन सिंह पिता सियाजी सिंह निवासी दीपक नगर दुर्ग तह. व जिला दुर्ग के द्वारा अपने हक की क्रय शुदा भूमि ग्राम नगपुरा प.ह.नं. 02 तह. व जिला दुर्ग में स्थित भूमि खसरा नबर 1829/4 रकबा 0.0200 हे. भूमि को विक्रय पत्र के आधार पर विक्रेता जंत्री बाई साहू पति टोपूराम साहू के नाम से पृथक कर आवेदक का नाम पटवारी अभिलेख में दर्ज करने हेतु आवेदन पेश किया है। जिसका प्रकरण इस न्यायालय में विचाराधीन है।

अतः जिस किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था को इस संबंध में आपत्ति दावा या उजर पेश करना हो तो दिनांक 17.12.2020 तक स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति दावा या उजर प्रस्तुत कर सकते है। बाद में प्राप्त आपत्ति आवेदन पर कोई कार्यवाही नही किया जावेगा।

आज दिनांक 02.12.2020 को मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय के पद मुद्रा से प्रकाशन हेतु जारी किया जाता है।

मुहर — **नायब तहसीलदार, दुर्ग (छ.ग.)**

न्यायालय नायब तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा-पत्र

मा.क्र./अ-06/ वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक अनिल कुमार पिता लालाराम निवासी सिविक सेंटर भिलाई तह. व जिला दुर्ग के द्वारा अपने हक की क्रय शुदा भूमि ग्राम जुनवानी प.ह.नं. 53 तह. व जिला दुर्ग में स्थित भूमि खसरा नबर 1084/330 रकबा 0.020 हे. मे से 1000 वर्गफीट भूमि को विक्रय पत्र के आधार पर विक्रेता राधिका रमण यादव पिता/ पति सदाराम यादव के नाम से पृथक कर आवेदक का नाम पटवारी अभिलेख में दर्ज करने हेतु आवेदन पेश किया है। जिसका प्रकरण इस न्यायालय में विचाराधीन है।

अतः जिस किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था को इस संबंध में आपत्ति दावा या उजर पेश करना हो तो दिनांक 29.12.2020 तक स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति दावा या उजर प्रस्तुत कर सकते है। बाद में प्राप्त आपत्ति आवेदन पर कोई कार्यवाही नही किया जावेगा।

आज दिनांक 11.12.2020 को मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय के पद मुद्रा से प्रकाशन हेतु जारी किया जाता है।

मुहर — **नायब तहसीलदार, दुर्ग (छ.ग.)**

न्यायालय नायब तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा-पत्र

मा.क्र./अ-06/ वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदिका भूमिका देशमुख पति दुष्यंत कुमार देशमुख निवासी खुरसुल तह. व जिला दुर्ग के द्वारा अपने हक की क्रय शुदा भूमि ग्राम नगपुरा प.ह.नं. 02 तह. व जिला दुर्ग में स्थित भूमि खसरा नबर 1982/26 रकबा 0.0120 हे. भूमि को विक्रय पत्र के आधार पर विक्रेता मुकेश कुमार वर्मा पिता सुंदरलाल शर्मा के नाम से पृथक कर आवेदक का नाम पटवारी अभिलेख में दर्ज करने हेतु आवेदन पेश किया है। जिसका प्रकरण इस न्यायालय में विचाराधीन है।

अतः जिस किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था को इस संबंध में आपत्ति दावा या उजर पेश करना हो तो दिनांक 29.12.2020 तक स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति दावा या उजर प्रस्तुत कर सकते है। बाद में प्राप्त आपत्ति आवेदन पर कोई कार्यवाही नही किया जावेगा।

आज दिनांक 11.12.2020 को मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय के पद मुद्रा से प्रकाशन हेतु जारी किया जाता है।

मुहर — **नायब तहसीलदार, दुर्ग (छ.ग.)**

न्यायालय नायब तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा-पत्र

मा.क्र./अ-06/ वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदिका रेखा सिंह पिता अमर कुमार निवासी शांति नगर कोहका तह. व जिला दुर्ग के द्वारा अपने हक की क्रय शुदा भूमि ग्राम बोरई प.ह.नं. 03 तह. व जिला दुर्ग में स्थित भूमि खसरा नबर 477/3 रकबा 0.380 हे. भूमि को विक्रय पत्र के आधार पर विक्रेता दीपक कुमार सिंह पिता अरविंद कुमार के नाम से पृथक कर आवेदक का नाम पटवारी अभिलेख में दर्ज करने हेतु आवेदन पेश किया है। जिसका प्रकरण इस न्यायालय में विचाराधीन है।

अतः जिस किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था को इस संबंध में आपत्ति दावा या उजर पेश करना हो तो दिनांक 29.12.2020 तक स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति दावा या उजर प्रस्तुत कर सकते है। बाद में प्राप्त आपत्ति आवेदन पर कोई कार्यवाही नही किया जावेगा।

आज दिनांक 11.12.2020 को मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय के पद मुद्रा से प्रकाशन हेतु जारी किया जाता है।

मुहर — **नायब तहसीलदार, दुर्ग (छ.ग.)**

न्यायालय नायब तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा-पत्र

मा.क्र./अ-06/ वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक स्नेहिल आदर्श पाटकर पिता राजेन्द्र कुमार निवासी कुसमी तह. व जिला बेमेतरा के द्वारा अपने हक की क्रय शुदा भूमि ग्राम जुनवानी प.ह.नं. 53 तह. व जिला दुर्ग में स्थित भूमि खसरा नबर 1084/313 रकबा 0.020 हे. मे से 1000 वर्गफीट भूमि को विक्रय पत्र के आधार पर विक्रेता राधिका रमण पिता सदाराम यादव के नाम से पृथक कर आवेदक का नाम पटवारी अभिलेख में दर्ज करने हेतु आवेदन पेश किया है। जिसका प्रकरण इस न्यायालय में विचाराधीन है।

अतः जिस किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था को इस संबंध में आपत्ति दावा या उजर पेश करना हो तो दिनांक 29.12.2020 तक स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति दावा या उजर प्रस्तुत कर सकते है। बाद में प्राप्त आपत्ति आवेदन पर कोई कार्यवाही नही किया जावेगा।

आज दिनांक 11.12.2020 को मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय के पद मुद्रा से प्रकाशन हेतु जारी किया जाता है।

मुहर — **नायब तहसीलदार, दुर्ग (छ.ग.)**

न्यायालय नायब तहसीलदार दुर्ग-1 (छ.ग.)
उद्घोषणा

रा.प्र.क्र.//अ-06/वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है आवेदिका श्रीमती लक्ष्मी कोसले आ./पति विरेन्द्र कोसले साकिन सारागांव के द्वारा ग्राम धनोरा प.ह.न. 39 रा.नि.मं. अण्डा तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 225/4 रकबा 0.017 हे. भूमि करन दास आ. आनंदराम निवासी धनोरा से रजिस्टर्ड बैनामा दिनांक 09.10.2020 को क्रय किया गया है। उक्त आवेदित भूमि को क्रेता के नाम पर प्रमाणीकरण किए जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर दावा हो तो व नियत पेशी दिनांक 21.12.2020 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम ये इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नहीं किया जावेगा

आज दिनांक 04.11.2020 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया है।

मुहर — **नायब तहसीलदार, दुर्ग (छ.ग.)**

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
ईश्तहार

रा.प्र.क्र.//अ-06/वर्ष 2019-20

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि आवेदिका आभा वर्गिस आ. स्व. के.एम. वर्गिस साकिन दुर्ग द्वारा ग्राम अंजोरा प.ह.न. रा.नि.मं. दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि स्वामी हक की भूमि खसरा नंबर 144/12 रकबा 0.0310 हे. जो उसके स्व. कु. किरण आ. के.एम. वर्गिस के नाम पर दर्ज है की फौती दर्ज किए जाने के संबंध में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिस पर प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है।

अतः उपरोक्त भूमि का नाम विलोपित किए किये जाने पर जिस किसी भी व्यक्ति को आपत्ति या उजर दावा हो तो सुनवाई तिथि दिनांक 08.01.2021 तक या उसके पुर्व स्वयं या अपने मान्य अधिवक्तागण के साथ उपस्थित होकर अपना आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित तिथि के बाद में प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 14.12.2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुहर के साथ जारी किया गया।

मुहर — **अतिरिक्त तहसीलदार, दुर्ग (छ.ग.)**

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा

रा.प्र.क्र./अ-06/ वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्वसाधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदिका आभा वर्गिस पिता/पति स्व. के.एम. वर्गीस निवासी तमेरपारा दुर्ग तह. व जिला दुर्ग मौजा बघेरा प.ह.नं. 48 रा.नि.मं. दुर्ग 02 तह. व जिला दुर्ग में स्थित भूमि खसरा नंबर 272/78 रकबा 0.017 हे. भूमि को विक्रेता नदीम आजमी पिता सिराज आजमी से दिनांक 30.03.2020 को क्रय कर रजिस्ट्री बैनामा निष्पादित किया है आवेदक द्वारा उक्त बैनामा के आधार पर नामांतरण करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है।

अतएव उपरोक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा/आपत्ति करना हो तो नियत पेशी दिनांक 26.12.2020 अथवा प्रकाशन तिथि से 15 दिवस तक स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से कार्यालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 11.12.2020 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुहर के साथ जारी किया गया।

मुहर — **अतिरिक्त तहसीलदार, दुर्ग (छ.ग.)**

न्यायालय श्रीमान अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा

मा.क्र.//अ-06/ वर्ष 2019-20

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदिका संगीता भुआर्य पति गोपाल राम भुआर्य साकिन रिसाली सेक्टर भिलाई तह. व जिला दुर्ग के द्वारा अपने भूमिस्वामी हक की क्रयशुदा भूमि ग्राम रिसाली प.ह.न. 22 तहसील व जिला दुर्ग में स्थित भूमि खसरा नंबर 26481 रकबा 0.015 हें भूमि को पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 06.11.2020 के आधार पर विक्रेता उर्वशी सोनेल पति केशव प्रकाश सोनेल के नाम से पृथक कर आवेदक का नाम पटवारी अभिलेख में दर्ज कराने हेतु आवेदन पेश किया है। जिसका प्रकरण विचाराधीन है।

अतः जिस किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था को इस संबंध में आपत्ति दावा या उजर पेश करना हो तो पेशी दिनांक 22.12.2020 तक स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति दावा या उजर प्रस्तुत कर सकते है। बाद में प्राप्त आपत्ति आवेदन पर कोई कार्यवाही नहीं किया जावेगा

आज दिनांक 01.12.2020 को मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय के पद मुद्रा से प्रकाशन हेतु जारी किया गया है।

मुहर — **अतिरिक्त तहसीलदार, दुर्ग (छ.ग.)**

न्यायालय श्रीमान अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा

मा.क्र.//अ-06/ वर्ष 2019-20

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक मनोहर सिंह पिता मिठ्ठू सिंह साकिन रिसाली सेक्टर भिलाई तह. व जिला दुर्ग के द्वारा अपने भूमिस्वामी हक की क्रयशुदा भूमि ग्राम रिसाली प.ह.न. 22 तहसील व जिला दुर्ग में स्थित भूमि खसरा नंबर 671/1 मे से रकबा 0.025 हें भूमि को पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 08.10.2020 के आधार पर विक्रेता उषा जैन पति राजीव जैन के नाम से पृथक कर आवेदक का नाम पटवारी अभिलेख में दर्ज कराने हेतु आवेदन पेश किया है। जिसका प्रकरण विचाराधीन है।

अतः जिस किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था को इस संबंध में आपत्ति दावा या उजर पेश करना हो तो पेशी दिनांक 22.12.2020 तक स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति दावा या उजर प्रस्तुत कर सकते है। बाद में प्राप्त आपत्ति आवेदन पर कोई कार्यवाही नहीं किया जावेगा

आज दिनांक 01.12.2020 को मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय के पद मुद्रा से प्रकाशन हेतु जारी किया गया है।

मुहर — **अतिरिक्त तहसीलदार, दुर्ग (छ.ग.)**

न्यायालय श्रीमान अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा

मा.क्र.//अ-06/ वर्ष 2019-20

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदिका प्रमोदनी कश्यप पति स्व. दिनेश कश्यप साकिन सिविक सेंटर भिलाई तह. व जिला दुर्ग के द्वारा अपने भूमिस्वामी हक की क्रयशुदा भूमि ग्राम रिसाली प.ह.न. 22 तहसील व जिला दुर्ग में स्थित भूमि खसरा नंबर 621/45 मे से रकबा 0.009 हें भूमि को पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 24.11.2020 के आधार पर विक्रेता आम मुख्तयार निर्मल बुन्देला पिता स्व. चमनलाल बुन्देला के नाम से पृथक कर आवेदक का नाम पटवारी अभिलेख में दर्ज कराने हेतु आवेदन पेश किया है। जिसका प्रकरण विचाराधीन है।

अतः जिस किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था को इस संबंध में आपत्ति दावा या उजर पेश करना हो तो पेशी दिनांक 22.12.2020 तक स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति दावा या उजर प्रस्तुत कर सकते है। बाद में प्राप्त आपत्ति आवेदन पर कोई कार्यवाही नहीं किया जावेगा

आज दिनांक 01.12.2020 को मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय के पद मुद्रा से प्रकाशन हेतु जारी किया गया है।

मुहर — **अतिरिक्त तहसीलदार, दुर्ग (छ.ग.)**

न्यायालय श्रीमान अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा

मा.क्र.//अ-06/ वर्ष 2019-20

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक कुदसिया अली पिता सैय्यद शौकत अली साकिन हुडको भिलाई तह. व जिला दुर्ग के द्वारा अपने भूमिस्वामी हक की क्रयशुदा भूमि ग्राम रिसाली प.ह.न. 22 तहसील व जिला दुर्ग में स्थित भूमि खसरा नंबर 989/2/1 मे से रकबा 0.009 हें भूमि को पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 24.11.2020 के आधार पर विक्रेता मोहम्मद नवाब अहमद पिता मो. अब्दुल गफ्फार के नाम से पृथक कर आवेदक का नाम पटवारी अभिलेख में दर्ज कराने हेतु आवेदन पेश किया है। जिसका प्रकरण विचाराधीन है।

अतः जिस किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था को इस संबंध में आपत्ति दावा या उजर पेश करना हो तो पेशी दिनांक 22.12.2020 तक स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति दावा या उजर प्रस्तुत कर सकते है। बाद में प्राप्त आपत्ति आवेदन पर कोई कार्यवाही नहीं किया जावेगा

आज दिनांक 01.12.2020 को मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय के पद मुद्रा से प्रकाशन हेतु जारी किया गया है।

मुहर — **अतिरिक्त तहसीलदार, दुर्ग (छ.ग.)**

// आम-सूचना //

आम जनता को सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकार द्वारा श्री ओमप्रकाश शुक्ला आ. श्री लालजी प्रसाद शुक्ला निवासी वार्ड 12 न्यू प्रायमरी स्कूल के पास कोटा रायपुर तह. व जिला रायपुर छ.ग. के आम मुख्तयार प्राप्तकर्ता- दुर्गेश कुमार शर्मा आ. श्री कृष्ण कुमार शर्मा स्वामित्व एवं आधिपतय की भूमि जो मौजा ग्राम कोकड़ी प.ह.न. 44 रा.नि.मं. अण्डा तह. व जिला दुर्ग में स्थित है जिसका खसरा नं. 80/2 रकबा 0.440 हे. भूमिस्वामी हक में स्थित है। जिसे मेरे पक्षकार श्रीकांत पंडा आ. श्री रेवती प्रसाद पंडा निवासी प्लाट नं. 10 बम्लेश्वरी कालोनी बोरसी दुर्ग द्वारा खरीदने का पक्का सौदा कर बयाना की राशि दे दी गई है केवल पंजीयन निष्पादन कराना बाकी है।

उक्त भूमि के क्रय विक्रय पर जिस किसी भी व्यक्ति संस्था, साहूकार, बैंक, शासकीय, अर्द्धशासकीय निकाय, निगम एवं अन्य को उजर दावा आपत्ति हो तो वे इस सूचना प्रकाशन दिनांक से 15 दिनों के भीतर मय दस्तावेज लिखित आपत्ति मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते है। समयावधि समाप्त होने के बाद मेरे पक्षकार द्वारा उक्त इकरारशुदा भूमि अपने पक्ष में बयनामा निष्पादित करा लेवेगा। बाद पंजीयन की गई उजर/ दावा आपत्ति मान्य नही होगी शून्य मानी जावेगी तथा मेरे पक्षकार द्वारा निष्पादित पंजीकृत बयनामा दस्तावेज वैध होगी।

सो सूचना जाने।

स्थान- दुर्ग

दिनांक -14.12.2020

मुहर — **ओमप्रकाश शुक्ला, निवासी वार्ड 12 कोटा रायपुर (छ.ग.)**

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला - दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा-पत्र

रा.प्र.क्र. ई-कोर्ट | पक्षकार का नाम श्रीमती पुष्पा मेश्राम | ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन नं. 202012100400200

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदिका श्रीमती पुष्पा मेश्राम पति श्री दीपक कुमार मेश्राम निवासी रुआबांधा सेक्टर भिलाई नगर तहसील व जिला दुर्ग छ.ग. द्वारा द्वारा नीचे अनुसूची में दर्शित भूमि को उसके सम्मुख दर्शित प्रयोजन के लिए व्यपवर्तन/पुर्ननिर्धारण हेतु आवेदन पत्र छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 172 सहपठित धारा 59(2)(5) तहत् आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया हैं, जिसके संबंध में इस न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन हैं।

अनुसूची

ग्राम/प.ह.नं.जहां भूमि स्थित है	खसरा नंबर	रकबा	प्रयोजन
ग्राम रिसाली प.ह.न. 22 तह.व जिला दुर्ग	1226/6	0.028 हें 3000 वर्गफीट	आवासीय

अतएव उपरोक्त वर्णित आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति, संस्था, शासकीय विभाग, सार्वजनिक या अर्धसार्वजनिक उपक्रम को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वे इस उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस के भीतर अपनी लिखित आपत्ति/दावा स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत कालावधि के बाद प्राप्त आपत्ति/दावा पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 11.12.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की पदमुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — **अनुविभागीय अधिकारी, दुर्ग, जिला दुर्ग**

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
ईश्तहार

रा.प्र.क्र.//अ-06/वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि आवेदक श्री ए.एल. जोशी आ. स्व. अगुन जोशी साकिन कोहका भिलाई द्वारा ग्राम रिसाली प.ह.न. 22 रा.नि.मं. दुर्ग 01 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि स्वामी हक की भूमि खसरा नंबर 397/10, 397/12 रकबा 0.0083, 0.0083 हे. को रजिस्टर्ड बैनामा के माध्यम से हकत्यागी दुखम बाई पिता/पति स्व. अगुन जोशी हक प्राप्त किया गया है कि नामांतरण किए जाने के संबंध में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिस पर प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है।

अतः उपरोक्त भूमि को आवेदक के नाम पर नामांतरण किए किये जाने पर जिस किसी भी व्यक्ति को आपत्ति या उजर दावा हो तो सुनवाई तिथि दिनांक 06.01.2021 तक या उसके पुर्व स्वयं या अपने मान्य अधिवक्तागण के साथ उपस्थित होकर अपना आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित तिथि के बाद में प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 16.12.2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुहर के साथ जारी किया गया।

मुहर — **अतिरिक्त तहसीलदार, दुर्ग (छ.ग.)**

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला - दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा-पत्र

रा.प्र.क्र. ई-कोर्ट | पक्षकार का नाम श्री नरेश कुमार जसवानी वगै. | ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन नं. 202012100400202

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक श्री नरेश कुमार जसवानी आ. स्व. नानकराम जसवानी एवं अन्य 01 निवासी मालवीय नगर दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग द्वारा नीचे अनुसूची में दर्शित भूमि को उसके सम्मुख दर्शित प्रयोजन के लिए व्यपवर्तन/पुर्ननिर्धारण हेतु आवेदन पत्र छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 172 सहपठित धारा 59 (2)(5) तहत् आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया हैं, जिसके संबंध में इस न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन हैं।

अनुसूची

ग्राम/प.ह.नं.जहां भूमि स्थित है	खसरा नंबर	रकबा	प्रयोजन
ग्राम कोहका प.ह.न. 19 तह. व जिला दुर्ग	8118/5	0.020हें 2400 वर्गफीट	आवासीय

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार की कोई दावा/ आपत्ति हो तो प्रकरण उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/ आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 11.12.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — **अनुविभागीय अधिकारी, दुर्ग, जिला दुर्ग**

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा

रा.प्र.क्र./अ-06/ वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्वसाधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदिका टीकेश्वरी देवांगन पिता/पति विजय देवांगन निवासी म.नं. 225 वार्ड 14 रवेलीडीह पो. ननकट्ठी जिला दुर्ग मौजा उरला प.ह.नं. 17/07 रा.नि.मं. सिकोला तह. व जिला दुर्ग में स्थित भूमि खसरा नंबर 603/35 रकबा 0.0140 हे. 1535.5 वर्गफीट भूमि को विक्रेता मनोरमा सोनी पिता/पति नारायण कुमार सोनी से दिनांक 16.03.2020 को क्रय कर रजिस्ट्री बैनामा निष्पादित किया है आवेदक द्वारा उक्त बैनामा के आधार पर नामांतरण करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है।

अतएव उपरोक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा/आपत्ति करना हो तो नियत पेशी दिनांक 28.12.2020 अथवा प्रकाशन तिथि से 15 दिवस तक स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से कार्यालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 09.12.2020 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुहर के साथ जारी किया गया।

मुहर — **अतिरिक्त तहसीलदार, दुर्ग (छ.ग.)**

महंगाई से गृहणियां त्रस्त है, पर भाजपाई अहंकार में मस्त है : त्रिवेदी

■ रसोई गैस के दामों में बेवजह की वृद्धि का असर 62 लाख परिवार पर पड़ेगा

रायपुर। रसोई गैस के दामों में 14 दिन के भीतर हुई 100 रु. प्रति सिलेंडर की वृद्धि को कांग्रेस ने मोदी निर्मित आपदा करार दिया। कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि रसोई गैस के दामों में वृद्धि का कोई अंतर्राष्ट्रीय कारण नही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दामों में किसी प्रकार का बढ़ोतरी नहीं हुआ है। भारत में रसोई गैस के दामों में वृद्धि का कारण स्थानीय केंद्र सरकार की नाकामी है। मोदी भाजपा की सरकार 14 दिन के भीतर रसोई गैस के दामों में प्रति सिलेंडर 100 रू. की वृद्धि कर देश के 62 लाख परिवार जो रसोई गैस का उपयोग करते हैं उन पर महंगाई के बोझ को बढ़ाने का काम किया है। रसोई गैस के दामों में वृद्धि के पहले डीजल-पेट्रोल के दामों में बढ़ोत्तरी किया गया था जिसका असर किचन से लेकर ट्रांसपोर्ट तक दिखा था। अब रसोई गैस के दामों में बेवजह वृद्धि होना ही स्पष्ट होता है कि मोदी सरकार ने अपने चंद मित्रों को मुनाफाखोरी की खुली छूट दे रखी है। विगत 15 दिनों से देश भर में किसान आंदोलित है।

उनकी मांगे सुनना छोड़ आपदा को अवसर में बदलते हुये मोदी सरकार ने 1 महीने में दूसरी बार गैस सिलेंडर के दाम में भारी वृद्धि की है। किसानो को खाद और बीज में मिलने वाली सब्सिडी पहले ही कम कर दी गयी, करोड़ो परिवारो को गैस सब्सिडी से वंचित किया गया और अब डीजल-पेट्रोल के साथ गैस सिलेंडर के दामों में भी लगातार वृद्धि कर आम जनता को लूटने का काम मोदी सरकार कर रही है। कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि ऐसा समय देखा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल न्यूनतम स्तर पर रहा और देश में मोदी सरकार की लूट और मुनाफाखोरी सीधे रूप से किसान, मध्यमवर्ग और गरीब लोगों के पेट में लात मारने का काम कर रही है। मोदी जी नए साल से पहले एक और महंगा तोहफा देने का निर्णय किया है। मोदी भाजपा की सरकार पर आरोप लगाते हुए कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि उज्जवला योजना तो बनाई है। लेकिन उज्जवला योजना के हितग्राहियों को मुफ्त दिए जा रहे रसोई गैस सिलेंडरों पर होने वाले खर्च को वहन नही कर रही है बल्कि उज्ज्वला योजना पर होने वाले खर्च को 62 लाख उपभोक्ताओं से वसूल रही है। दूसरी ओर रसोई गैस के पर 103 प्रतिशत टैक्स लगाकर रसोई गैस के दामों के वृद्धि कर रही है और रसोई गैस में मिलने वाले सब्सिडी को खत्म कर जनता के ऊपर बोझ बढ़ाने काम किया है। बीते 2 महीने में रसोई गैस में मिलने वाली सब्सिडी में 111 रू. की कटौती कर दी गई है। रसोई गैस के दामों में 14 दिन में 100 रू. की बढ़ोत्तरी करना मोदी भाजपा सरकार की मुनाफाखोरी की नीति को दिखा रहा है।

पिता को खाना खिलाने तीन भाईयों के बीच हुआ बटवारा

■ खाना खिलाने की बात पर दो भाई परिवार सहित एक दूसरे से भिड़े

रायपुर। पिता को खाना खिलाने के बटवारा पर दो भाईयों में मारपीट होने की रिपोर्ट धरसींवा थाने में दर्ज की गई है।

मिली जानकारी के अनुसार ग्राम भेरवा धरसींवा निवासी मेघराज वर्मा 43 वर्ष ने रिपोर्ट दर्ज करायी है कि प्रार्थी तीन भाई है व मां का स्वर्गवास हो गया है। पिता काशीराम वर्मा को तीनों भाईयों ने आपस में बटवारा कर 1-1 माह अपने पास रखकर खाना देते है। 15 दिसंबर को दोपहर 2 बजे प्रार्थी के बड़े भाई ओमप्रकाश वर्मा ने पिता को खाना नही दिया। इसकी जानकारी होने पर पीड़ित ने पिता को खाना दे दिया। इस पर नाराज होकर बड़ा भाई ओमप्रकाश वर्मा ने अपने बेटे फनीश वर्मा के साथ मिलकर पीड़ित को गाली-गलौचकर जान से मारने की धमकी दिया व हाथ-मुक्का एवं डंडे से मारकर उसे व बेटे लक्की वर्मा को चोट पहुंचाया। इसी तरह ग्राम भेरवा निवासी संतोषी वर्मा पति ओमप्रकाश वर्मा 48 वर्ष ने रिपोर्ट दर्ज करायी है कि 15 दिसंबर को देवर पोखराज वर्मा परिवारिक विवाद को लेकर प्रार्थिया के पति के साथ गाली-गलौच कर झगड़ा कर रहा था,बीच बचाव करने जाने पर पीड़िता को पत्थर फेक कर मारा जिसके चलते उसके सिर पर चोट लगी है। घटना की रिपोर्ट पर पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ अपराध कायम कर मामला दर्ज कर लिया है।

रमन सिंह ने राज्य सरकार पर फिर साधा निशाना

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डा. रमन सिंह ने एक बार फिर भूपेश सरकार के दो साल के कार्यकाल पर निशाना साधा है। डा. सिंह ने ट्वीट कर कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता दो साल में ही भूपेश सरकार से ठगा हुआ महसूस कर रही है। उन्होंने कहा कि इस सरकार ने एक भी वादा पूरा नहीं किया है। डा. सिंह ने कहा कि देश में कौन सी ऐसी सरकार होगी जो 12 महीने में धान खरीदी के पूरे पैसे तक नहीं दे सकी हो। उन्होंने कहा कि वादा खिलाफी और भ्रष्टाचार इस सरकार की पहचान बन गई है।

खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के होंगे काम: मुख्य सचिव

■ मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिए निर्देश

रायपुर। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य शासन की प्राथमिकता की योजनाओं की प्रगति और लक्ष्य प्राप्ति के लिए विभागों की रणनीति के संबंध में राज्य के समस्त संभागायुक्त, कलेक्टर, मुख्य वन संरक्षक, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी और समस्त वनमण्डलाधिकारियों से चर्चा की और आवश्यक मार्गदर्शन दिए। उन्होंने कहा है कि जिला खनिज विकास निधि की राशि का उपयोग प्राथमिकता से शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल-कूद के स्तर में सुधार लाने वाली गतिविधियों के लिए किया जाना है। उन्होंने बताया है कि खनिज विकास निधि से स्वीकृत एवं पूर्ण कराए गए कार्यो की विस्तृत जानकारी के लिए राज्य स्तर पर वेबपोर्टल बनाया जा रहा है। इसके लिए अगले पांच वर्षो में जिलों के द्वारा किए जाने वाले कार्ययोजना राज्य शासन को भेजने के निर्देश उन्होंने दिए है। धान खरीदी के सन्दर्भ में राजस्व अभिलेखों (गिरदावरी) में सुधार कार्य के संबंध में चर्चा करते हुए उन्होंने कहा है कि किसानों के रकबे में सुधार का कार्य राजस्व अधिकारियों के भौतिक सत्यापन के बाद ही किया जाए। साथ ही उन्होंने नाराजगी जाहिर करते हुए गिरदावरी के कार्य में लापरवाही बरतने वाले राजस्व कर्मियों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश भी दिए है।

संपादकीय

सुप्रीम कोर्ट से होगा समाधान

नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन पिछले 21 दिनों से लगातार जारी है। दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसानों ने दिल्ली के सारे रास्ते जाम कर रखे है। किसनों का आंदोलन दिन ब दिन विस्तारित होता जा रहा है। सरकार बातचीत के जरिए समस्या का समाधान करने की पक्षधर है लेकिन किसान नेता नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े हुए है। यही वजह है कि सरकार और किसान संगठनों के नेताओं के बीच पांच दौर की वार्ता के बावजूद समाधान का रास्ता नहीं निकल पाया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने किसानों को आश्वस्त किया है कि उनके साथ कोई अन्याय नहीं होगा, पीएम मोदी का कहना है कि किसानों को विपक्षी पार्टियां भड़का रही है। किसानों को उनके बहकावें में नहीं आना चाहिए और सरकार के साथ बातचीत कर के इस समस्या का समाधान करना चाहिए, किन्तु प्रधानमंत्री की बात का भी आंदोलनरत किसान नेताओं पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। इस बीच कई किसान संगठनों ने केन्द्रिय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर से भेंट कर उनसे अनुरोध किया है कि सरकार नए कृषि कानूनों को यथावत लागू करें क्योंकि इससे किसानों को लाभ मिलेगा और बिचौलियों का वर्चस्व खत्म होगा। बहरहाल अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है और सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र व पंजाब तथा हरियाणा सरकार को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ किसान संगठनों को भी नोटिस दिया है और कहा है कि इस समस्या के समाधान के लिए एक कमेटी बनाई जानी चाहिए जिसमें सरकारी नुमाइंदों के अलावा किसान प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाएं। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट की पहल पर आंदोलनरत किसान संगठन के नेता कमेटी बनाने के लिए तैयार होते है या नहीं। गौरतलब है कि केन्द्रिय कृषि मंत्री और किसान नेताओं के बीच चौथे दौर की वार्ता के दौरान भी सरकार ने ऐसी ही कमेटी बनाने का प्रस्ताव दिया था जिसे किसान संगठनों ने नकार दिया था अब यही बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। किसान संगठनों को चाहिए कि वे सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन करे और सरकार के साथ मिलकर कमेटी बनाएं और इस कमेटी में तमाम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हो ताकि समस्या का समाधान हो सके। आंदोलन कर रहे किसानों को यह बात समझना चाहिए कि किसी भी समस्या का समाधान सड़क जाम कर के और लोगों के लिए असुविधा पैदा कर के नहीं निकल सकता। उल्टे इस तरह तो वे जनता की सहानुभूति भी खो देंगे। इसलिए बेहतर होगा कि वे अपनी जिद पर अड़े न रहे और बातचीत के जरिए इस समस्या का समाधान करने के लिए आगे बढ़े।

विचार

बजट से इंडस्ट्री की उम्मीदें

संसद का शीतकालीन सत्र इस साल कोरोना की वजह से न करवाए जाने की घोषणा के बाद सबका ध्यान जनवरी में होने वाले बजट सत्र की ओर लग गया है। केंद्रीय बजट यूं भी इस बार जनवरी में ही संसद में पेश होना है, जिसकी तैयारियां जोर-शोर से जारी हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने समाज के विभिन्न हिस्सों से बजटपूर्व बातचीत का सिलसिला शुरू कर दिया है। इसी क्रम में सोमवार को भारतीय उद्योग जगत के प्रतिनिधियों ने वित्त मंत्री से मुलाकात कर आगामी बजट से अपनी अपेक्षाएं बताईं।

विचार विमर्श का यह सिलसिला अब बजट बनने तक चलता ही रहेगा। इस दौरान समाज और अर्थव्यवस्था के अलग-अलग हिस्से वित्त मंत्रालय को अपनी अपेक्षाओं से अवगत कराएंगे। इन तमाम तबकों की उम्मीदों पर खरा उतरने की चुनौती वित्त मंत्रालय के सामने हर साल होती है। मगर इस बार हालात असामान्य हैं और इसके चलते चुनौतियां भी कहीं ज्यादा गंभीर हैं। उद्योग जगत चूंकि अर्थव्यवस्था का सबसे मजबूत और समर्थ हिस्सा है, इसलिए संकट के मौजूदा दौर से देश को बाहर निकालने में भी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इसी की होने वाली है। ऐसे में स्वाभाविक ही इंडस्ट्री के नुमाइंदों ने वित्त मंत्री से आग्रह किया है कि इस बार के बजट में ग्रोथ को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। ग्रोथ हालांकि हमेशा ही अर्थनीति के केंद्र में होती है, फिर भी इस बार के आग्रह की विशिष्टता सीआईआई और फिक्की के प्रतिनिधियों के इस आग्रह से समझी जा सकती है कि वित्त घाटे से जुड़ी चिंताओं को कुछ समय के लिए प्राथमिकता से बाहर किया जा सकता है। चूंकि मौजूदा हालात में ग्रोथ को आगे बढ़ाने वाला मुख्य कारक सरकार की ओर से दिया जाने वाला आर्थिक पैकेज ही हो सकता है, इसलिए वित्त घाटे को नियंत्रित रखने की नीति में थोड़ी ढील दिए बगैर यह लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता। बहरहाल, इंडस्ट्री ने जहां टैक्स रेवेन्यू में आई कमी के मद्देनजर सरकार को विनिवेश की प्रक्रिया आगे बढ़ाने की जरूरत बताई है, वहीं शहरी गरीबों के लिए भी मनरेगा जैसी कोई योजना लाने और इनकम टैक्स रियायतें बढ़ाने जैसे सुझाव भी दिए हैं। जाहिर है, इन सारे सुझावों पर सरकार गंभीरता से विचार करेगी। इसके साथ ही यह ध्यान रखना भी जरूरी है कि ग्रोथ की अहमियत आज चाहे जितनी बढ़ी हुई लग रही हो, वित्तीय अनुशासन और वित्तीय संस्थानों की साख किसी भी सूरत में कमजोर नहीं पड़नी चाहिए। अभी सबसे बड़ी व्यावहारिक समस्या यह सूचना है कि 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज में से कुल 2 लाख करोड़ ही हाल तक सरकारी खजाने से निकलकर लोगों और उद्यमियों की मदद में आ सके हैं। इसलिए पहली जरूरत तो घोषित राहत पैकेज का बाकी 90 फीसदी जमीन पर उतारने की है।

कोरोना वैक्सीन का टीकाकरण बड़ी चुनौती

डॉ. श्रीनाथ सहाय

> वैक्सीन के स्टोरेज से लेकर टीकाकरण तक की दिशा में देश के सबसे बड़ी आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बेहतरीन कार्य किया है। मुख्यमंत्री योगी निरतंर कोरोना वायरस से जुड़े घटनाक्रम पर व्यक्तिगत नजर बनायें हुए हैं। इस महामारी पर प्रभावी काबू पाने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यूपी सरकार की तारीफकी है। अच्छा होगा कि देश में तैयार वैक्सीन को ही प्राथमिकता मिले क्योंकि कीमत और परिस्थिति के हिसाब से वह अनुकूल है ताकि देश के हर गरीब आदमी को भी वैक्सीन का लाभ मिल सके। निस्संदेह वैक्सीन निर्माण में भारत की महारथ इस लक्ष्य को हासिल करने में मददगार होगी। इतना ही नहीं, दुनिया के गरीब व विकासशील देश भारत की तरफ उम्मीद से देख रहे हैं। वैक्सीन उपलब्ध कराने में केंद्र व राज्यों का सहयोग कारगर होगा। वहीं कई राज्यों के मुफ्त टीका उपलब्ध कराने के वादे से आर्थिक बोझ सरकारों पर तथा अंततरू आम आदमी पर ही पड़ेगा। टीकाकरण की प्रक्रिया पारदर्शी, तर्कसंगत तथा न्यायपूर्ण होनी चाहिए ताकि देश की बेशकीमती जिंदगियों की रक्षा की जा सके।

विश्व ने कोरोना वायरस संक्रमण के एक साल बाद उससे मुक्ति पाने की कारगर वैक्सीन तलाश ली है। अब पूरी दुनिया इस महामारी की समाप्ति के अंतिम चरण की ओर तेजी से कदम बढ़ा चुकी है। रूस, ब्रिटेन व अमेरिका आदि देशों में टीकाकरण की शुरुआत हो चुकी है। हालांकि, रूस की वैक्सीन स्पुतनिक को गंभीरता से नहीं लिया गया लेकिन अमेरिकी कंपनी फाइजर व बायोएनटेक की वैक्सीन को गंभीरता से लिया गया, जिसकी सबसे पहली शुरुआत ब्रिटेन में हो चुकी है। भारत में ?भी वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में है। भारत बॉयोटेक, सीरम इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया के अलावा फाइजर ने वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग की अनुमति मांगी है। लेकिन केंद्र के सामने चुनौती इस बात की है कि सवा करोड़ से ज्यादा आबादी वाले देश में वैक्सीन संक्रमण की दृष्टि से संवेदनशील वर्ग व उम्रदराज लोगों को पहले मिले। देश में कुछ हफ्तों में वैक्सीन उपलब्ध होने की उम्मीद है। कोरोना वायरस से संक्रमण आकंड़ों के साथ-साथ भारत में कोविड वैक्सीन की चर्चा भी बढ़ती जा रही है। एक अरब से ज्यादा की आबादी वाले देश में हर किसी को वैक्सीन मिल पाएगी या नहीं? इस सवाल और टीकाकरण अभियान में आने वाली चुनौतियों को लेकर चिंता जताई जा रही है। चिंता है कि क्या वैक्सीन का वितरण पारदर्शी व न्यायसंगत ढंग से हो पायेगा।

दरअसल, कोरोना से लड़ाई के अंतिम चरण में जरूरतमंदों तक वैक्सीन पहुंचाने के मार्ग में कई तरह की चुनौतियां शामिल हैं। इसमें टीके का उत्पादन, खरीद, भण्डारण, परिवहन, वितरण और कुशल प्रबंधन शामिल हैं। चिकित्सा तंत्र के ढांचे को देखते हुए आकलन है कि पहले चरण में तीस करोड़ लोगों को वैक्सीन दी जायेगी, जिसके जुलाई-अगस्त तक पूरा होने का अनुमान है। इसमें स्वास्थ्यकर्मी, फ्रंटलाइन स्टाफ्र मसलन स्थानीय निकायों के कर्मी, सफाईकर्मी, पुलिस व रक्षा कर्मचारी तथा पचास वर्ष से अधिक उम्र के लोग शामिल हैं। मोदी सरकार को टीकाकरण की चुनौतियों का आभास है। इसलिये कोरोना वैक्सीन का टीका भारत में लोगों को किस प्रक्रिया के तहत और कैसे लगाया जाएगा

इसे लेकर केंद्र सरकार ने दिशानिर्देश सोमवार को जारी कर दिए।

केंद्र सरकार के विभिन्न निर्देशों में से एक निर्देश यह है कि प्रत्येक दिन हर सत्र में 100-200 लोगों को टीका दिया जाएगा जिसके बाद आधे घंटे तक उन लोगों पर नजर रखी जाएगी कि किसी पर इसके प्रतिकूल प्रभाव तो नहीं है। इसके अलावा एक वक्त पर सिर्फ एक व्यक्ति को टीके के लिए सेंटर के अंदर जाने की अनुमति होगी। राज्यों को जारी किए गए दिशानिर्देशों में कहा गया है कि टीका लेने वाले लोगों और कोरोना वायरस की वैक्सीन को ट्रैक करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क (को-विन) सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा। टीकाकरण वाली जगह पर सिर्फ पहले से पंजीकृत लोगों को ही टीका दिया जाएगा ताकि प्राथमिकता तय की जा सके। उसी समय पंजीकरण का कोई प्रावधान फिलहाल नहीं किया गया है। भारत में बड़े स्तर पर टीकाकरण अभियान चलाए जाते हैं, यहां दुनिया भर की 60 प्रतिशत वैक्सीन बनती हैं और यहां आधे दर्जन वैक्सीन निर्माता मौजूद हैं, जिनमें दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड शामिल है। इसमें हैरानी की बात नहीं कि भारत सरकार अरबों लोगों तक कोविड-19 की वैक्सीन पहुंचाने की इच्छा रखती है। भारत की अगले साल जुलाई तक वैक्सीन की 50 करोड़ डोज बनाने और 25 करोड़ लोगों का टीकाकरण करने की योजना है। उम्मीद है कि जब तक अगले दो वर्षों में हर व्यक्ति तक वैक्सीन पहुंचेगी, तब तक कोरोना वायरस का खात्मा हो चुका होगा। आने वाले समय में टीके के कई विकल्प मौजूद होंगे क्योंकि दो टीकों को आपातकालीन उपयोग की अनुमति मिल चुकी है और छह अन्य टीके इसके करीब हैं। भारत का ये आत्मविश्वास तब और बढ़ जाता है जब वो हर साल बड़ी संख्या में टीकाकरण के अपने पिछले रिकॉर्ड को देखता है। देश का 42 साल पुराना टीकाकरण अभियान दुनिया के सबसे बड़े स्वास्थ्य अभियानों में से एक है जिसे 55 करोड़ लोगों तक पहुंचाया जाता है। इनमें खासतौर पर नवजात शिशु और गर्भवती महिलाएं शामिल हैं जिन्हें हर साल कई बीमारियों से बचाव के लिए वैक्सीन की करीब 39 करोड़ मुफ्त खुराकें मिलती हैं। भारत के पास इन वैक्सीन को संग्रहित करने और उन पर नजर रखने का एक बेहतरीन इलैक्ट्रॉनिक सिस्टम भी है। इन सबके बावजूद विशेषज्ञों का कहना है कि पहली बार लाखों वयस्कों सहित अरबों लोगों तक कोरोना की वैक्सीन पहुंचाना सरकार के सामने एक असाधारण चुनौती होगी।

भारत में विकसित की जा रहीं 30 वैक्सीन में से पांच का क्लीनिकल ट्रायल चल रहा है। इनमें से एक है ऑक्सफर्ड और एस्ट्राजेनिका की वैक्सीन जिस पर फिलहाल भारत के सीरम इंस्टीट्यूट में ट्रायल चल रहा है। भारत बायोटेक एक स्वदेशी कोरोना वैक्सीन विकसित कर रही है। वास्तव में ऐसे वर्ग को वैक्सीन पहले मिलनी चाहिए, जिसने संकट में अपनी जान की परवाह न कर कोरोना के खिलाफ लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाया है।?जबकि विशिष्ट वर्ग अपने घरों तक सीमित थे। इसके अलावा उन क्षेत्रों में सक्रिय लोगों को प्राथमिकता देनी होगी, जो भीड़भाड़ वाले इलाकों में रहने को मजबूर हैं। मसलन कैदियों, भीड़-भाड़ वाले व्यापारिक प्रतिष्ठानों व सार्वजनिक जीवन में सक्रिय लोगों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। फिलहाल जिस भी वर्ग को पहले वैक्सीन न मिले, उन्हें शांति व धैर्य से उन उपायों का गंभीरता से पालन करना चाहिए, जो कोरोना संकट में कारगर बताये जा रहे थे, जिससे संक्रमण की किसी भी संभावना को टाला जा सके। वैक्सीन प्रभावी रहे इसके लिए जरूरी है कि उसे उचित तापमान पर स्टोर किया जाए। भारत में 27,000 कोल्ड स्टोर्स हैं जहां से संग्रहित की गई वैक्सीन को 80 लाख स्थानों पर पहुंचाया जा सकता है। लेकिन, क्या ये पर्याप्त होगा? देश में जितनी संख्या में वैक्सीन की जरूरत होगी, उतनी ही संख्या में अपने आप नष्ट हो वाली सीरिंज (इंजेक्शन) की भी जरूरत होगी ताकि उनके दोबारा इस्तेमाल और किसी तरह के संभावित संक्रमण को रोका जा सके।

ऊर्जा संरक्षण के प्रति जागरूकता जरूरी

योगेश कुमार गोयल

> पर्यावरण संरक्षण पर प्रकाशित बहुचर्चित पुस्तक 'प्रदूषण मुक्त सांसें' के मुताबिक अक्षय ऊर्जा असीमित और प्रदूषणरहित ऊर्जा है, जिसका नवीकरण होता रहता है। ऊर्जा संरक्षण की आदतों को अपनाने के साथ ही ऐसे अक्षय ऊर्जा संसाधनों की ओर कदम बढ़ाना आज समय की सबसे बड़ी मांग है। ग्लोबल वार्मिंग तथा जलवायु परिवर्तन से बचाव के दृष्टिगत भी अक्षय ऊर्जा संसाधनों को प्रोत्साहित किया जाना जरूरी है। न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया के समक्ष बिजली जैसी ऊर्जा की महत्वपूर्ण जरूरतें पूरी करने के लिए सीमित प्राकृतिक संसाधन हैं, साथ ही पर्यावरण असंतुलन और विस्थापन जैसी गंभीर चुनौतियां भी हैं। ऐसी गंभीर समस्याओं और चुनौतियों से निपटने के लिए अक्षय ऊर्जा ऐसा बेहतरीन विकल्प है। जो पर्यावरणीय समस्याओं से निपटने के साथ-साथ ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने में भी कारगर साबित होगा लेकिन ऊर्जा के संसाधन गैर-अक्षय हों।

वर्ष 2001 में ऊर्जा मंत्रालय के अधीनस्थ ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा देश में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। दरअसल दुनियाभर में पिछले कुछ दशकों में जनसंख्या तेजी से बढ़ी है और उसी के अनुरूप ऊर्जा की खपत भी निरन्तर बढ़ रही है लेकिन दूसरी ओर जिस तेजी से ऊर्जा की मांग बढ़ रही है, उससे भविष्य में परम्परागत ऊर्जा संसाधनों के नष्ट होने की आशंका बढ़ने लगी है। अगर ऐसा होता है तो मानव सभ्यता के अस्तित्व पर ही प्रश्नचिन्ह लग जाएगा। यही कारण है कि भविष्य में उपयोग हेतु ऊर्जा के स्रोतों को बचाने के लिए विश्वभर में ऊर्जा संरक्षण की ओर विशेष ध्यान देते हुए इसके प्रतिस्थापन के लिए अन्य संसाधनों को विकसित करने की जिम्मेदारी बढ़ गई है। ऊर्जा की न्यूनतम मात्रा का उपयोग करने और इसके अनावश्यक उपयोग से बचने को ही 'ऊर्जा संरक्षण' कहा जाता है। ऊर्जा संरक्षण का सही अर्थ ऊर्जा के अनावश्यक उपयोग से बचते हुए कम से कम ऊर्जा का उपयोग करना है। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो का कहना है कि ऊर्जा संरक्षण योजना को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यवहार में ऊर्जा संरक्षण को शामिल करना चाहिए।

ऊर्जा के अपव्यय को कम करने, ऊर्जा बचाने और इसके संरक्षण के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए देश में प्रतिवर्ष एक खास विषय के साथ कुछ लक्ष्यों तथा उद्देश्यों को मद्देनजर रखते हुए लोगों के बीच इन्हें अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस भी मनाया जाता है। इसके जरिये ऊर्जा के अनावश्यक उपयोग को न्यूनतम करते हुए लोगों को मानवता के सुखद भविष्य के लिए ऊर्जा की बचत के लिए प्रेरित करने का प्रयास किया जाता है। विद्युत मंत्रालय द्वारा देश में ऊर्जा संरक्षण की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए शुरू किया गया 'राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण अभियान' एक राष्ट्रीय जागरूकता अभियान है। देश में ऊर्जा संरक्षण तथा कुशलता को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 1977 में केन्द्र सरकार द्वारा पैट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान एसोसिएशन का गठन किया गया था। ऊर्जा दक्षता और ऊर्जा संरक्षण के

महत्व के बारे में आम जनता में जागरूकता बढ़ाने के लिए वर्ष 2001 में एक अन्य संगठन 'ऊर्जा दक्षता ब्यूरो' (ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी) भी स्थापित किया गया। ब्यूरो का कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति छोटे-छोटे कदम उठाकर अपने घर अथवा कार्यालय में लाईट, पंखे, हीटर, कूलर, एसी तथा बिजली के अन्य किसी भी उपकरण के अनावश्यक उपयोग पर नियंत्रण करते हुए ऊर्जा की बचत कर सकता है।

छोटे-छोटे स्तर पर ऊर्जा संरक्षण के लिए कदम उठाकर भी प्रत्येक नागरिक देश के राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण अभियान में बहुत बड़ी मदद दे सकता है और इस प्रकार बड़ी मात्रा में ऊर्जा संरक्षण किया जा सकता है। अगर ऐसे ही कुछ छोटे उपायों का उल्लेख किया जाए तो पुराने बल्बों के स्थान पर सीएफएल या एलईडी बल्बों का इस्तेमाल किया जाए। आई.एस.आई. चिन्हित विद्युत उपकरणों का ही उपयोग करें। यथासंभव दिन के समय सूर्य की रोशनी का अधिकतम उपयोग किया जाए और जरूरत न होने पर लाइटें, पंखे, कूलर, ए.सी., हीटर, गीजर इत्यादि विद्युत उपकरण बंद रखें। यथासंभव खाना पकाने के लिए बिजली के उपकरणों के बजाय सोलर कुकर और पानी गर्म करने के लिए बिजली के गीजर के बजाय सोलर वाटर हीटर के उपयोग को बढ़ावा दिया जाए। भवन निर्माण के समय प्लाट के चारों ओर वृक्ष लगाए जाएं तो प्रचण्ड गर्मी में भी भवन गर्म होने से बचेंगे और कूलर, एसी इत्यादि की जरूरत कम होगी। मकानों या कार्यालयों में दीवारों पर हल्के रंगों के प्रयोग से कम रोशनी वाले बल्बों से भी कमरे में पर्याप्त रोशनी हो सकती है। इससे न केवल ऊर्जा संरक्षण अभियान में सहभागी बनकर हम भ्विष्य के लिए ऊर्जा बचाने में मददगार बनेंगे बल्कि अपना बिजली बिल भी सीमित रख सकेंगे। सार्वजनिक स्थानों पर सौर लाइटों की व्यवस्था होनी चाहिए। विशेषज्ञों के अनुसार कार्यस्थल पर दिन के समय प्राकृतिक रोशनी में कार्य करने वाले लोगों की कार्यकुशलता में वृद्धि होती है और ऊर्जा की खपत में अपेक्षित कमी आती है, वहीं तेज कृत्रिम रोशनी वाले स्थानों पर काम करने से कर्मियों में तनाव, सिरदर्द, रक्तचाप, थकान जैसी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं देखी जाती हैं और उनकी कार्यकुशलता पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसलिए ऑफिस में यदि पर्याप्त प्राकृतिक रोशनी का व्यवस्था हो तो इससे ऊर्जा संरक्षण होने के साथ-साथ कर्मचारियों की कार्यक्षमता भी बढ़ती है। प्रतिवर्ष देश में हजारों गैलन पानी बर्बाद होता है, इसलिए ऊर्जा संरक्षण की बात करते समय जल की बर्बादी को रोकने पर पर्याप्त ध्यान दिया जाना भी बेहद जरूरी है। हालांकि दैनिक जीवन में उपयोग के लिए जीवाश्म ईंधन, कच्चे तेल, कोयला, प्राकृतिक गैस इत्यादि ऊर्जा स्रोतों द्वारा पर्याप्त ऊर्जा उत्पन्न की जा रही है लेकिन ऊर्जा की लगातार बढ़ती मांग को देखते हुए भविष्य में इन ऊर्जा संसाधनों की अत्यधिक कमी होने या इनके समाप्त होने का भय पैदा हो गया है।

पाठकों की बात

पत्र, प्रतिक्रियाएं, सोशल मीडिया

पारदर्शी था तुम्हारा

पारदर्शी था तुम्हारा प्रेम जिसमें स्वयं को पाया मैंने स्थिर, उतना ही स्वागं रचा मैंनें जितना तुमने मुझे आजमाया, धर्मसंकंट में उतना ही डूबाया खुद को जितनी बार स्वालंबी होते गये तुम, अभिभूत होती गई वेदना जितनी बार तिरस्कार पाया तुम्हारा, जलन उतनी ही तृप्त होती गई जितनी बार जलाया तुमने, स्त्रियाँ प्रेम नही करती बस प्रेम हो जाती हैं ।

– स्निग्धा रूद्रा

देखता हूं जब भी

देखता हूं जब भी तुझको एक चमक सी आ जाती है मेरे चेहरे पर ए मेरी जां..! मेरे दिल में बसी तेरी एक प्यारी सी मूरत है अपलक देखता रहता हूं उसको लगती बहुत प्यारी है रहा ना जाये अब एक पल बिन तेरे सनम मैं तेरी ज़रूरत हूँ सिर्फ़ तू ही मेरी ज़रूरत है।

– राज मालपाणी

ख़ास पाती

इश्क़ में ये दिल लुटा

इश्क़ में ये दिल लुटा बैठे हैं हम और अपना घर जला बैठे हैं हम ज़िन्दगी से रू - ब - रू जबसे हुये आईने को फिर सजा बैठे हैं हम दोस्तों से दुश्मनी है आजकल आईना जबसे दिखा बैठे हैं हम चाँद आता है नहीं छत पर अभी चाँदनी को अब भुला बैठे हैं हम प्यार में धोका दिया जब बेवफ़ा ग़म को सीने से लगा बैठे हैं हम नफ़रतों को ख़त्म करने के लिये प्यार की गंगा बहा बैठे हैं हम दूर होगी तीरगी घर - घर यहाँ एक सूरज को उगा बैठे हैं हम तितलियाँ आने लगीं 'ऐनुल' यहाँ फिर चमन में गुल खिला बैठे हैं। – **'ऐनुल' बरौलवी**

अक्सर मौन धारण करती हूँ मै

अक्सर मौन धारण करती हूँ मै... आत्मसात करने की कोशिश मे मै... किसी का होना और ना होना तब नही रखता मायने मुझे अक्सर ढूढ़ती खुद को ही खुद में ही मै... तिमिर चांदनी अग्न लिए धरा शिथिलता लिए कभी दिनकर ओझ सा त्तमतमाता वह चाँद निशा को उजियारे से बाँधती रहती अक्सर मै... तपती धरा रिश्तों की धुरी पर तपोवन जलते भावनओं मे अपनी ही मुट्ठी मे वनों को लिए जब तब घूमती हूँ मै। – **सुरेखा अग्रवाल**

कहाँ जा रहे हैं किधर का है ध्यान

कहाँ जा रहे हैं किधर का है ध्यान। बिना बात ही करते झूँठ क्यों मान। चलो अब बता भी दो दिल में जो बात। छिपा ना सकोगे तुम्हें कुछ है भान? बिना बात ही आप करते हैं क्रोध। पता है नहीं कर सकूंगी विरोध। बुझा दो अगन जो जलाती तुम्हें भला ले सकोगे कभी प्रतिशोध?

– चंद्र लता यादव

70 साल से कांग्रेस देशवासियों

70 साल से कांग्रेस देशवासियों को ÷मुगली घुट्टी÷ पिला रही थी कि... अमेरिका, रूस, चीन शक्तिशाली है, लेकिन गुजरात से आये 2 लोगों ने, इन 6 सालो में पता दिया कि भारत सबका बाप है।

– कुमार संतोष

कुछ कुछ चांद सी सीरत देखा है

कुछ कुछ चांद सी सीरत देखा है मैने, यूं ही बिखरने की हर सूरत देखा है मैंने, तासीर रहे कायम तन्हाई से डरना क्या, बेवजह बदलती है फित्तरत देखा है मैंने।

– विजय लक्ष्मी राय

नाम गुम जाएगा चेहरा ये बदल जाएगा...

नाम गुम जाएगा चेहरा ये बदल जाएगा... ये बात हम महिलाओं को ज्यादा सूट करता है।सभी सहेलियाँ मोटी हो गई हैं(एक दो को छोड़कर)सभी के सरनेम भी बदल गए हैं।मगर फोन पर बात हो जाए तो पहचानते देर नही लगती।

– प्रीती श्रीवास्तव

हैदराबाद से असम तक पंजाब आंदोलन

हैदराबाद से असम तक पंजाब आंदोलन का संक्रामक प्रभाव। व्यापक असर। कांग्रेस के पक्ष में लहर। असम में भी बोडो स्वायत्त क्षेत्र में एक सीट कांग्रेस को। जीते कांग्रेसी प्रतिनिधि का भी विरोध स्वरूप इस्तीफ़ा। भीतर से विरोध जताने भाजपा में शामिल।

पंकज कुमार झा

QUIZ TIME

1) प्रसिद्ध घड़वां कला के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? (बिलासपुर / बस्तर)
2) किसे छत्तीसगढ़ में लोक बैले की संज्ञा दी गई है?
3) कुछ जनजातियों में विधवा स्त्री से विवाह करने में कम पैसा लगता है ऐसे विवाह को क्या कहते हैं? (अर-उतो / लमसेना)
4) प्रसिद्ध हल्बी बोली की चइतपरब गीतों को लंदन की 'न्यू वर्स' नामक पत्रिका में कालबद्ध किया-
5) सोनहा बिहान नाटक का मंचनकर्त्ता और छत्तीसगढ़ी लोककला के पुजारी का नाम बताइए?

Ramaquiz

उत्तरमाला- (1) बस्तर (2) पण्डवानी (3) अर-उतो (4) ग्रियर्सन (5) दाऊ महासिंह चन्द्राकर

आज का इतिहास

नई दिल्ली (वार्ता)। 1645 ङ्क मुगल सम्राट जहांगीर की पत्नी नूरजहां बेगम का निधन। 1777- फ्रांस ने अमेरिकी स्वतंत्रता को मान्यता दी। 1807 - फ़्रांस के तानाशाह नेपोलियन बोनापार्ट ने मीलान का ऐतिहासिक आदेश जारी किया। 1903 - राइट बंधुओं ने 'द फ्लायर' नामक विमान पहली बार उड़ाया। 1907- उग्येन वांगचुक भूटान के पहले वंशानुगत राजा बने। 1914- पोलैंड के लिमानोव में ऑस्ट्रिया की सेना ने रूसी सेना को पराजित किया। 1914 - तुर्की के अधिकारियों ने यहूदियों को तेल अवीव से बाहर खदेड़ दिया। 1925 - तत्कालीन सोवियत संघ और तुर्की ने एक दूसरे पर हमला न करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किये। 1928 - भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन सांडर्स को गोली मारी। 1938 - जर्मन रसायनशास्त्री ओटो हान ने यूरेनियम के नाभिकीय विखंडन की खोज की। 1940 - महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन स्थगित किया। 1971 - भारत और पाकिस्तान के बीच तीसरा युद्ध बंगलादेश के अस्तित्व में आने के साथ समाप्त हुआ। 1998 - अमेरिकी और ब्रिटिश बमवर्षकों विमानों ने 'आपरेशन डेजर्ट फ़ॉक्स' के तहत इराक पर भारी बमबारी की। 2002 - तुर्की ने कश्मीर मुद्दे पर भारत का समर्थन किया। 2005 - भूटान के राजा जिग सिगमे वांचुक को सत्ता से हटाया गया। 2009 - लेबनान के समुद्री तट पर कार्गो जहाज एमवी डैनी एफ टू के डूबने से 40 लोगों तथा 28,000 से अधिक पशुओं की मौत। 2014 - अमेरिका और क्यूबा ने 55 साल के बाद दोबारा कूटनीतिक संबंधों को बहाल किया।

जतिन टंडन

कलेक्शन सेंटरों से मिल रही डॉक्टरों के हस्ताक्षरयुक्त पर्ची!

- निजी पैथोलॉजी संचालक का डाक्टरों से मिली भगत का अंदेशा
- गंडई व वनांचल का मामला

गंडई पंडरिया। क्या आप जानते है की आप जिस पैथोलॉजी सेंटर में जांच करवा रहे है, क्या उसकी रिपोर्ट सही है? एक बार यह सवाल जरूर पुछिये... क्योकि नगर सहित वनांचल क्षेत्र पैलीमेटा में चल रहे पैथोलॉजी कलेक्शन सेंटर में खून का सैम्पल लेने वाला कोई पैथोलाजिस्ट व्यक्ति नहीं बल्कि अप्रशिक्षित व्यक्ति होता है।उसे तकनीकी ज्ञान भी नहीं होता ना आपकी खून की जांच कोई विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं करते अन्दाज से खुद ही नौसिखिये रिपोर्ट तैयार करके दे देते है। ऐसे में पता चला है की आपको जो बीमारी है भी नहीं। गंडई संहित वनांचल के पैथोलॉजी संेटरो मे संचालक द्वारा डॉक्टर के हस्ताक्षर युक्त रिपोर्ट पर्ची दी जाती है इससे साफ जाहीर होता है की डॉक्टर को कमीशन देकर संचालक इस तरह का गैरकानूनी कार्य को अंजाम दे रहे है।

जानकारों का कहना है की पैलीमेटा वनांचल क्षेत्र में जांच के नाम पर लोगो की जिंदगी से खिड़वाड किया जा रहा है। नोसिखिये खून निकालकर जांच कर रहे है।और बकायदा रिपोर्ट बनाकर भी दे रहे है जिसमे डॉक्टर के हस्ताक्षर होते तो है लेकिन वह अधिकृत डॉक्टर नहीं होते आखिरकार ये डॉक्टर कौन होता है किसी को मालुम भी नहीं होता है। एक भी पैथोलॉजी में एमडी (पैथोलॉजी) डॉक्टर नहीं रहता जबकि सभी रिपोर्ट में किसी ना किसी डॉक्टर के हस्ताक्षर होता है।जानकारी अनुसार जांच सिर्फ एम डी पैथोलॉजी ही कर सकते है।बावजूद कई जगहों पर सभी तरह के जांच करने के दावे किये गए है। पैथोलॉजी सेंटर में रहकर सीख रहे नौसिखिये ही खून निकालने के लिए तैयार हो गए है।

जांच ही नहीं रिपोर्ट भी बना के देते है

कलेक्शन सेंटर के नाम पर भी खेल चल रहा है।इन सेंटरों का दावा होता है की यहाँ जांच नहीं होता सिर्फसैम्पल लिया जाता है।जमीनी हकीकत यह है की यहाँ तो सिर्फकलेक्शन सेंटर ही लिखा है लेकिन ये खुद भी जांच कर रिपोर्ट दे देते है।मरीज की डिमांड पर जांच के लिए बाहर भेजते है या कोई बड़ी जांच होती है तो पैथोलॉजी में जांच कराते है जबकि ये किसी मानक को पूरा भी नहीं करते।

नाम कलेक्शन सेंटर, करते है जांच देते भी है रिपोर्ट: वैसे देखा जाए तो एक पैथोलॉजी के कलेक्शन सेंटर में सिर्फ खून की सैंपल लेने का होता है लेकिन वनांचल क्षेत्र के पैलीमेटा सहित आसपास के सेंटर में जांच कर बकायदा रिपोर्ट भी देते है इस रिपोर्ट में किसी एम बी बी एस या एम डी के हस्ताक्षर नहीं होते। जानकारी अनुसार एक एम बी बी एस डॉक्टर भी रिपोर्ट में हस्ताक्षर नहीं कर सकता।नगर सहित वनांचल क्षेत्र पैलीमेटा के कलेक्शन सेंटर में जांच कर धड्डुले से रिपोर्ट भी तैयार किया जाता है। सूत्रो का कहना है की इस पैथोलॉजी सेंटर में एम डी (पैथोलॉजी) डॉक्टर भी नहीं बैठते बल्कि एक एम बी बी एस के अधीनस्थ जांच कर कुछ समय रिपोर्ट पर हस्ताक्षर भी करते है। या पैथोलाजी में कार्यरत प्रशिक्षु ही हस्ताक्षर कर अधिकृत हो जाते है।

एक्सपर्ट का कहना है की पैथोलॉजी डॉक्टर एम डी ही पैथोलॉजी चला सकता है। कलेक्शन सेंटर या पैथोलॉजी चलाने के लिए भी मेडिकल कचरा निष्पादन का सर्टिफिक्रेट लेना होता है यदि ऐसा नहीं होता है तो पैथोलॉजी को सील भी किया जा सकता है।

> खंड चिकित्सा अधिकारी का कहना है की एक पैथोलॉजी के कलेक्शन सेंटर को सिर्फसैम्पल लेने का अधिकार होता है। जाँचकर रिपोर्ट देने का नहीं एक एमबी बी एस डॉक्टर भी रिपोर्ट पर हस्ताक्षर नहीं कर सकता उसके लिए एम डी ही अधिकृत है, जानकारी आपसे मिली है दो तीन दिनों में वनांचल पैलीमेटा सहित गंडई क्षेत्र का दौरा किया जाएगा गलत पाये जाने पर अवश्य कार्यवाही की जाएगी।
>
> **लीला रामटेके,** बीएमओ

यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए की जा रही अपील, नहीं माने तो कार्यवाही

गुंडरदेही। गुंडरदेही ब्लाक गुण्डरदेही नगर थाना प्रभारी रोहित मालेकर ने सड़क पर गाड़ी खड़े कर यातायात बाधित ना करने के लिए लोगों से किया

अपील कई बार वाहन चालक बीच रोड पर ही आपने वाहन को खड़ा कर देते है उस खड़े वाहन के कारण सार्वजनिक रोड पर जाम लग जाता है आवगमन अवरुद्ध हो जाता है, यातायात बाधित होता है ,व जनसामान्य को परेशानी होती है तब उस जाम लगाने वाले व्यक्ति के ऊपर भारतीय दंड विधान की धारा 283 के तहत पुलिस प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर सकती है। ,ऐसी स्थिति में वाहन चालक के वाहन की जप्ती एवम वाहन चालक की गिरफ्तारी की जाती है। ऐसे अपराध केश्र लिए प्रकरण न्यायालय पेश करने पर मजिस्ट्रेट द्वारा जुर्माना लगाया जाता है।आप सभी से अपील है कि कभी भी वाहन आम रास्ते ,सड़क पर खड़ा न करे ,जिससे यातायात बाधित हो ,अथवा जनसामान्य को परेशानी हो रोज हजारों लोगों को भेज रहे हैं मैसेज गुंडरदेही थाना बना अब बालमित्र पुलिस थाना ।

नाबालिक को शादी का झासा देकर किया दैहिक शोषण, आरोपी गिरफ्तार

भाटापारा। नाबलिका को बहला फुसला कर भगा कर ले जाने और उसका दैहिक शोषण करने वाले युवक को शहर पुलिस ने प्रयागराज से गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। शहर पुलिस ने आरोपी युवक को न्यायालय के निर्देश पर जेल भेज आगे की कार्यवाही कर रही है। उपरोक्त सम्बन्ध में थाना शहर से मिली जानकारी अनुसार पुलिस अधीक्षक आई के एलेसेला ने गंभीर मामलो मे आरोपी को पकडने कार्यवाही करने हेतु कडे निर्देश दिये गये थे जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती निवेदिता पाल और अनुविभागीय अधिकारी पुलिस भाटापारा के बी द्विवेदी के निर्देशन पर प्रशिक्षु IPS थाना प्रभारी भाटापारा शहर जितेन्द्र कुमार यादव के कुशल नेतृत्व में थाना भाटापारा शहर के अपराध क्रमांक 225/2020 धारा 363,366,376, भादवि व 4,6 पॉक्सो एक्ट के फरार आरोपी संजय कुमार वर्मा पिता मुकेश कुमार वर्मा उम्र 22 वर्ष साकिन अटल आवास सुभाष वार्ड भाटापारा का सायबर सेल बलौदाबाजार की सहायता से पता किया गया जिसका प्रयागराज में होना पता चलने पर दीगर प्रांत जाने टीम गठित कर आरोपी को प्रयागराज उत्तर प्रदेश से लाया गया । थाना प्रभारी आईपीएस डॉ जितेंद्र कुमार यादव ने बताया की उक्त युवक की पिछले सात माह से पुलिस को तलास थी।पूछताछ में आरोपी ने अपराध घटित करना स्वीकार किया आरोपी संजय कुमार वर्मा पिता मुकेश कुमार वर्मा उम्र 22 वर्ष साकिन अटल आवास सुभाष वार्ड भाटापारा को बुधवार को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेजा गया है ।

जिला पंचायत अध्यक्ष वर्मा ने किया गोबर खरीदी कार्य का शुभारंभ

अर्जुनी। जनपद पंचायत बलौदा बाजार क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत भद्रापाली में 16 दिसंबर दिन बुधवार को सुबह 10 बजे जिला पंचायत अध्यक्ष राकेश वर्मा के मुख्य अतिथि एवं जनपद सदस्य प्रतिनिधि राजेश साहू की उपस्थिति में राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं के तहत गोबर खरीदी कार्य का शुभारंभ किया गया। एक ही दिन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए 2224 किलो गोबर बेचा गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष राकेश वर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया कि सरकार है। छत्तीसगढ़ के विकास को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से ही नरवा गरवा घुरवा बाड़ी की महत्वकांक्षी योजनाओं को शामिल कर कार्य कराया जा रहा है। इस दौरान गौठान समिति के अध्यक्ष टीकम साहू उपसरपंच रूपेंद्र कुमार वर्मा सचिव भूषण वर्मा कृषि विस्तार अधिकारी चतुर्वेदी तकनीकी सहायक कुमारी दिव्या वर्मा एवं ग्राम पंचायत के पंच सोहन लाल साहू रामलाल ध्रुव ओना वर्मा संतोषी वर्मा तारणी वैष्णव मोगरा साहू उषा साहू दुर्गेश वर्मा ग्राम के नागरिक संतोष वर्मा संतोष ध्रुव मोहनदास पूरन वर्मा सोनू वर्मा ईश्वर वर्मा एवं महिला स्व सहायता समूह की समस्त सदस्य एवं ग्रामवासी उपस्थित थे।

प्रथम पृष्ठ का शेष...

267 अधिकारी-कर्मी के...

जिनमें 18 जनप्रतिनिधि भी शामिल हैं।

सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव डीडी सिंह द्वारा जारी जानकारी के अनुसार विभिन्न विभागों में कार्यरत फर्जी सेवकों एवं जनसेवकों की सूची जारी की गई है। छानबीन समिति ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र प्रकरणों की जांच की है और करीब साढ़े 7 सौ प्रकरणों में 267 अफसर-कर्मियों के जाति प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए हैं, इनमें 18 जनप्रतिनिधियों के प्रमाण पत्र भी शामिल हैं। सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव डीडी सिंह ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र वालों की सूची सभी संबंधित विभागों को भेजी है और कार्रवाई की अनुशंसा की है। जानकारी के मुताबिक उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति रायपुर को 2000 से लेकर 2020 तक 758 प्रकरण मिले हैं, जिसमें से 659 प्रकरणों की जांच के बाद उसका निराकरण किया गया। 267 प्रकरणों में जाति प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए है, जिसे संबंधित विभाग को कार्रवाई के लिए भेजा गया है। इसमें अधिकांश प्रकरण उच्च न्यायालय में विचाराधीन हैं। यहां उल्लेखनीय है कि पिछले 2 साल में 75 प्रकरण फर्जी/गलत पाए गए हैं, इन प्रकरणों में हाईकोर्ट से स्थगन आदेश मिलने के बाद कई अधिकारी-कर्मचारी अपने पद पर बने हुए हैं।

नगर विकास में हम सभी की भागीदारी आवश्यक-ऋषि शर्मा

- नगर पालिका टीम के साथ वार्ड का निरीक्षण

नवप्रदेश संवाददाता

कवर्धा(नवप्रदेष)। शहर का विकास हम सब मिलकर करेगें, कार्य योजना बनाकर नगर विकास किया जा रहा है इस कार्य में हम सब की भागीदारी आवश्यक है नगर पालिका टीम द्वारा सभी वार्डो में मूलभूत सुविधाओं को लेकर निरंतर कार्य कर रहे है शासन की जनकल्याणकारियों योजनाओं का लाभ प्रदान करते हुए वार्ड की समस्याओं का निपटारा वार्ड में ही हो ऐसा प्रयास नगर पालिका टीम द्वारा किया जा रहा है उपरोक्त बाते आज डॉ.भीमराव अंबेडकर वार्ड क्रं. 07 का निरीक्षण करने पहुंचे नगर पालिका अध्यक्ष ऋषि कुमार शर्मा ने कहा। उन्होंनें कहा कि माननीय कैबिनेट मंत्री व विधायक मोहम्मद अकबर के निर्देशानुसार वार्डो का निरीक्षण कर वार्डो के समस्याओं का समाधान किया जा रहा है पैदल 2 घंटे तक वार्ड के सभी गलियों में नगर पालिका टीम के साथ लोगों की समस्याओं को सुना तथा उनके समस्याओं को निराकरण करने का आश्वासन दिया। नगर पालिका अध्यक्ष ऋषि कुमार शर्मा ने आज डॉ.भीमराव अंबेडकर वार्ड क्रं. 07 के सभी गलियों मे

नगर पालिका टीम के साथ पदैल घुम-घुमकर लोगों की समस्याओं व उनके मांगो को सुना। नगर पालिका अध्यक्ष ने उपस्थित अधिकारियों के साथ निरीक्षण वार्ड में नाली सफाई, नल कनेक्शन सहित अन्य मूलभूत समस्याओं का त्वरित निराकरण किये जाने हेतु निर्देशित किया। उन्होनें वार्ड के पुराने जर्जर नालियों को तोड़कर नया हाफ राउंड नाली, आरसीसी नाली, सीसी रोड़ निर्माण किये जाने हेतु प्राक्कलन तैयार कर राशि मांग हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित किये जाने को कहा। जर्जर सीसी रोड़ को रिनिवल किये जाने, जिन गलियों में पाईप लाईन नही बिछाया गया है उन गलियों का सर्वे कर पाईप लाईन विस्तारीकरण किये जाने हेतु निर्देशित किया।

सफाई व्यवस्था दुरस्त करने निर्देश

वार्डवासियों ने बरसात के समय में घरो में पानी घुसने की बात कही तथा बरसाती पानी घुसने से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है जिसे दूर किये जाने हेतु नपाध्यक्ष से निवेदन किया। नगर पालिका पालिका अध्यक्ष ऋषि शर्मा ने सफाई दरोगा हुलास सिंह ठाकुर का निर्देशित करते हुए कहा कि बरसात पूर्व सभी नालियों का साफसफाई किया जावे। ताकि वार्डवासियों को बरसात के दिनों में किसी प्रकार की परेशानियों का सामना करना पडे।

वार्ड के मितानीन व आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से की चर्चाः नगर पालिका अध्यक्ष ऋषि कुमार शर्मा वार्ड के वृद्वजनो, महिलाओं सहत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मितानिनों से चर्चा कर वार्ड की समस्याओं को जाना। उनके द्वारा बताये गये समस्याओं का निराकरण हेतु प्रयास करें तथा समय-समय पर वार्डो में घुमकर इनकी समस्याओं को पालिका को अवगत कराने को कहा। इसी तरह शासकीय भूमि में अतिक्रमित व्यक्तियों को नोटिस देकर भूमि रिक्त कराये जाने हेतु त्वरित कार्यवाही करने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया। गंगानगर स्थित स्कूल के चारो ओर निरीक्षण वहां टूटे फूटे शौचालयों को मरम्मत किया जाकर चारो ओर सुरक्षा की दृष्टि से बाउण्ड्रीवाल निर्माण किये जाने हेतु शिक्षा विभाग के अधिकारियों से चर्चा की।

पढ़ना लिखना अभियान अंतर्गत घर-घर जाकर कर रहे हैं असाक्षरों का सर्वे

कवर्धा(नवप्रदेश)। नेहरू युवा केंद्र कवर्धा छत्तीसगढ़ युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के संयुक्त तत्वाधान में श्री सौरभ कुमार निषाद जिला युवा समन्वयक नेहरू युवा केंद्र कवर्धा के कुशल नेतृत्व में कार्य कर रहे कबीरधाम जिले के चारों विकासखंड कवर्धा, बोड़ला, सहसपुर लोहारा और पंडरिया ब्लाक के राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक को एवं युवा मंडल के सदस्यों का पढ़ना लिखना अभियान के अंतर्गत राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण पढ़ना लिखना अभियान संचालित किया गया है,

कार्यालय सम्पदा अधिकारी
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, सम्पदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-1, सिरपुर भवन, व्यवसायिक परिसर कबीर नगर, रायपुर
email ID-eocghbzone1@gmail.com

आम सूचना

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल द्वारा कबीर नगर कालोनी, रायपुर में निर्मित एलआईजी फ्लैट भवन योजना के अंतर्गत भवनों में से भवन क्रमांक एलआईजी फ्लैट 20/231 प्रथम तल में श्रीमती शोभा सिंह पति श्री सुरेन्द्र बहादुर सिंह को भाड़ाक्रय/ पूर्णमूल्य आधार पर आबंटित किया गया है। आबंटी द्वारा दिनांक 31.7.2012 को विक्रय विलेख निष्पादित कर लिया गया। आबंटी द्वारा दिनांक 17.9.2020 को निष्पादित विक्रय इकरारनामा की छायाप्रति प्रस्तुत कर भवन श्रीमती निर्मला बाला पति श्री मुकुंद बिहारी वाला के नाम से विक्रय करने के लिए विक्रय अनुमति की मांग की है।

अतः किसी भी व्यक्ति शासकीय/ अर्द्ध शासकीय/ वित्तीय संस्था इत्यादि को उक्त भूखण्ड/ भवन के विक्रय के संबंध में किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो इस कार्यालय में लिखित रूप से प्रमाणित दस्तावेज सहित इस आम सूचना प्रकाशन के 15 दिन के अंदर समक्ष उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत करें। अन्यथा बाद में प्राप्त आपत्ति मान्य नहीं की जावेंगी।

सम्पदा अधिकारी
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, सम्पदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-01 कबीर नगर, रायपुर

न्यायालय तहसीलदार (नजूल) कवर्धा, जिला-कबीरधाम (छ.ग.)
रा.प्र.क्र. अ/20-1 वर्ष 2020-21
ई कोर्ट नं. 202012082200016

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक मोहित सिंह धुर्वे पिता शिवराम सिंह धुर्वे राजमहल चौक समनापुर रोड पाण्डे आटा चक्की के सामने कवर्धा जिला कबीरधाम द्वारा नजूल नगर कवर्धा स्थित शीट क्रमांक 10 बी भूखण्ड क्रमांक 48 कुल क्षेत्रफल 2693.00 व.मी. में से क्षेत्रफल 968.00 वर्गफीट अतिक्रमित क्षेत्रफल के आवासीय प्रयोजन के लिए अतिक्रमित भूमि के व्यवस्थापन हेतु न्यायालय नजूल जांच अधिकारी कबीरधाम के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने उपरांत विधिवत जांचकर, जांच प्रतिवेदन बाबत प्रकरण प्राप्त हुआ है। जिसके संबंध में प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है। जिसकी सुनवाई दिनांक 30/12/2020 को नियत किया गया है।

अतः उक्त संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति/ संस्था को कोई दावा/आपत्ति पेश करना हो तो वह स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से उपस्थित होकर इस न्यायालय में नियत समय व तिथि तक दावा पेश कर सकते हैं। नियत तिथि के पश्चात प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह ईश्तहार आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया है।
जारी दिनांक 14/12/2020
पेशी दिनांक 29/12/2020

सील — **तहसीलदार (नजूल) कवर्धा**

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी आरंग, जिला-रायपुर (छ.ग.)

ईश्तहार
रा.प्र.क्र. 202012112400028
अ/2 वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाता है कि आवेदक बोधराम चंद्रा पिता ननकीदाउ निवासी एलआईसी कालोनी मोवा द्वारा ग्राम गनौद प.ह.नं. 26 में स्थित भूमि खसरा नंबर 334/1 का रकबा 1.9200 हे. का भाग रकबा 0.12 हे. भूमि का व्यपवर्तन/ पुर्ननिर्धारण किए जाने बाबत आवेदन प्रस्तुत किया गया है। वादभूमि आवेदक के नाम पर राजस्व अभिलेख में दर्ज है। आवेदक द्वारा वादभूमि का रकबा 0.12 हे. भूमि का पुर्ननिर्धारण व्यपवर्तन आवासीय प्रयोजन में करने का निवेदन किया है। उक्त संबंध में किसी को दावा या आपत्ति प्रस्तुत करना हो तो वे स्वतः या अपने अधिवक्ता के माध्यम से नियत तिथि दिनांक 01/01/2021 तक मेरे न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत अवधि के पश्चात प्रस्तुत दावा आपत्ति पर न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 11/12/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की सील मुहर से जारी किया गया है।

सील — **सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) आरंग, जिला-रायपुर (छ.ग.)**

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी आरंग, जिला-रायपुर (छ.ग.)

ईश्तहार
रा.प्र.क्र. 202012112400012
अ/2 वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाता है कि आवेदक अर्चना गोस्वामी पति प्रवीण पुरी गोस्वामी द्वारा ग्राम नरदहा प.ह.नं. 01 में स्थित भूमि खसरा नंबर 479/23 का रकबा 0.03 हे. भूमि का व्यपवर्तन/ पुर्ननिर्धारण किए जाने बाबत आवेदन प्रस्तुत किया गया है। वादभूमि आवेदक के नाम पर राजस्व अभिलेख में दर्ज है। आवेदक द्वारा वादभूमि का रकबा 0.03 हे. भूमि का पुर्ननिर्धारण व्यपवर्तन आवासीय प्रयोजन में करने का निवेदन किया है। उक्त संबंध में किसी को दावा या आपत्ति प्रस्तुत करना हो तो वे स्वतः या अपने अधिवक्ता के माध्यम से नियत तिथि दिनांक 29/12/2020 तक मेरे न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत अवधि के पश्चात प्रस्तुत दावा आपत्ति पर न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 05/12/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की सील मुहर से जारी किया गया है।

सील — **सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) आरंग, जिला-रायपुर (छ.ग.)**

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी आरंग, जिला-रायपुर (छ.ग.)

ईश्तहार
रा.प्र.क्र. 202012112400040
अ/2 वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाता है कि आवेदक रूपेन्द्र कुमार देवांगन पिता स्व. हेतराम देवांगन द्वारा ग्राम भानसोज प.ह.नं. 63/7 में स्थित भूमि खसरा नंबर 548 का रकबा 0.21 हे. का भाग 3300 वर्गफीट भूमि का व्यपवर्तन/ पुर्ननिर्धारण किए जाने बाबत आवेदन प्रस्तुत किया गया है। वादभूमि आवेदक के नाम पर राजस्व अभिलेख में दर्ज है। आवेदक द्वारा वादभूमि का रकबा 0.21 हे. का भाग 3300 वर्गफीट भूमि का पुर्ननिर्धारण व्यपवर्तन व्यवसायिक प्रयोजन में करने का निवेदन किया है। उक्त संबंध में किसी को दावा या आपत्ति प्रस्तुत करना हो तो वे स्वतः या अपने अधिवक्ता के माध्यम से नियत तिथि दिनांक 12/01/2021 तक मेरे न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत अवधि के पश्चात प्रस्तुत दावा आपत्ति पर न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 16/12/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की सील मुहर से जारी किया गया है।

सील — **सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) आरंग, जिला-रायपुर (छ.ग.)**

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी आरंग, जिला-रायपुर (छ.ग.)

ईश्तहार
रा.प्र.क्र. 202012112400043
अ/2 वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री सियाराम साहू पिता श्री लखन साहू वगै. द्वारा ग्राम मुनगेस प.ह.नं. 03 में स्थित भूमि खसरा नंबर 111/14 का रकबा 0.0350 हे. भूमि का व्यपवर्तन/ पुर्ननिर्धारण किए जाने बाबत आवेदन प्रस्तुत किया गया है। वादभूमि आवेदक के नाम पर राजस्व अभिलेख में दर्ज है। आवेदक द्वारा वादभूमि का रकबा 0.0350 हे. भूमि का पुर्ननिर्धारण व्यपवर्तन आवासीय प्रयोजन में करने का निवेदन किया है। उक्त संबंध में किसी को दावा या आपत्ति प्रस्तुत करना हो तो वे स्वतः या अपने अधिवक्ता के माध्यम से नियत तिथि दिनांक 12/01/2021 तक मेरे न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत अवधि के पश्चात प्रस्तुत दावा आपत्ति पर न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 16/12/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की सील मुहर से जारी किया गया है।

सील — **सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) आरंग, जिला-रायपुर (छ.ग.)**

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं VIJAYENDRA S/O VIRENDRA DIXIT निवासी 56 BRAHMAN PARA BAZAR KURIDIHI, WARD NO. 09, BANBAGAUD, DHAMTARI (C.G.) यह शपथ करता हूं कि मैंने अपना यह पुराना नाम को त्याग कर नया नाम VIJAYENDRA DIXIT S/O VIRENDRA DIXIT रख लिया हूं। अतः आज से मुझे समस्त शासकीय, अर्धशासकीय व अन्य दस्तावेजों में मेरे नये नाम VIJAYENDRA DIXIT S/O VIRENDRA DIXIT से ही जाना पहचाना जावे।

VIJAYENDRA DIXIT
56 BRAHMAN PARA BAZAR KURIDIHI, WARD NO. 09, BANBAGAUD, DHAMTARI (C.G.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं VIRENDRA S/O VIJAY SHANKAR DIKSHIT निवासी 56 BRAHMAN PARA BAZAR KURIDIHI, WARD NO. 09, BANBAGAUD, DHAMTARI (C.G.) यह शपथ करता हूं कि मैंने अपना यह पुराना नाम को त्याग कर नया नाम VIRENDRA DIKSHIT S/O VIJAY SHANKAR DIKSHIT रख लिया हूं। अतः आज से मुझे समस्त शासकीय, अर्धशासकीय व अन्य दस्तावेजों में मेरे नये नाम VIRENDRA DIKSHIT S/O VIJAY SHANKAR DIKSHIT से ही जाना पहचाना जावे।

VIRENDRA DIKSHIT
56 BRAHMAN PARA BAZAR KURIDIHI, WARD NO. 09, BANBAGAUD, DHAMTARI (C.G.)

छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, रायपुर

// बिजली बंद की सूचना //

समस्त सम्मानीय उच्चदाव एवं निम्न दाब उपभोक्ताओं को सूचित किया जाता है कि सेजबहार वितरण केन्द्र के अंतर्गत डूंडा नाला से खिलौरा हाऊसिंग बोर्ड नाला तक सड़क चौड़ीकरण कार्य हेतु 33 के.व्ही. सिवनी आउट फीडर एवं 11 के.व्ही. सेजबहार-1 फीडर निम्नलिखित तिथियों को सुबह 10.00 बजे से शाम 05.00 बजे तक विद्युत प्रवाह बंद रहेगी। आवश्यकतानुसार समय में परिवर्तन किया जा सकता है।

क्र.	दिनांक	फीडर का नाम	प्रभावित क्षेत्र
1	17.12.2020, 20.12.2020	33 के.व्ही. सिवनी आउट फीडर	GEC चौक से लेकर R.K. शारदा स्कूल तक
2	17.12.2020, 20.12.2020	11 के.व्ही. सेजबहार नं.-1 फीडर	सेजबहार बस्ती, पुलिस थाना मुजगहन इंजीनियरिंग कॉलेज (हॉस्टल)

''विद्युत संबंधित शिकायतें केन्द्रीकृत कॉल सेन्टर के फोन नं. 1912 पर दर्ज कराएं।''

असुविधा के लिए खेद है।

सं.-27257/2 — (एस.के. गुप्ता) कर्म. संख्या 9510850 छ.स्टे.पॉ.डि.कं.लि., अटल नगर नवा रायपुर

''विद्युत चोरी एक दण्डनीय अपराध है कृपया इससे बचे स्वहित एवं राष्ट्रहित में उर्जा बचाइए''

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER
P.W.D. (B&R), VIDHAN SABHA DIVISION, RAIPUR (C.G.)
Qut. Call Let.No. 6878/SAC/TC/2020-21 — Raipur, Date 14.12.2020

Expression Interest (EOI)

Quotation invited For the prepration of departmental Jhanki on 26-January-2021 at Police Pared Ground, Raipur (C.G.) from the contractors having the experience of similar type of work. Quotation should be reach by registered post/ speed post to the undersigned office on before Dt. 28.12.2020 up to 5.00 pm. & shall be opened on date 29.12.2020 at 11.30 am at the office of the undersigned in presence of the participant who will present.

S. No.	Name of Item	Qty.	PAC
1	Prepration of Deparmental Jhanki (i/c truck) on 26- January-2021 at Police Pared Ground Raipur	1 JOB WORK	10.00 Lacs

Endt :- Nill

G-85651/1 — Executive Engineer, P.W.D. Vidhan Sabha Dn. Raipur (C.G.)

कार्यालय नगर पालिक निगम, जोन क्रमांक-09 रायपुर
मोवा थाना के पास स्थित सामुदायिक भवन

:: प्रथम निविदा आमंत्रण सूचना ::

क्र./67/न.पा.नि./जोन क्र. 09/2020 — रायपुर, दिनांक : 15.12.2020

एकीकृत पंजीयन प्रणाली अंतर्गत सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से प्रपत्र ए में सीलबंद निविदाएं एस.ओ.आर. पर नियमानुसार प्रतिशत दर कम या अधिक के आधार पर दो लिफाफा पद्धति में दिनांक 07.01.2021 को कार्यालयीन दिवस एवं अवधि तक सीलबंद निविदा पंजीकृत डाक/ स्पीड पोस्ट के माध्यम से नगर पालिक निगम जोन कार्यालय क्र. 09, में आमंत्रित की जाती है। इस हेतु निविदा प्रपत्र दिनांक 04.01.2021 को शाम 5.00 बजे तक आवेदन के साथ प्राप्त कर लिए जा सकेंगे। प्राप्त निविदाएं, निविदा प्राप्ति दिनांक के अगले कार्य दिवस को अपरान्ह 12.00 बजे तक उपस्थित निविदाकारों अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जावेंगी।

क्र.	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि (रुपए में)	अमानती राशि (रुपए में)	निविदा प्रपत्र मूल्य	निविदा प्रपत्र प्रारूप	समयावधि	ठेकेदार श्रेणी	
1	नेताजी सुभाषचन्द्र बोस वार्ड क्रमांक-31 अंतर्गत गायत्री नगर में बी.के. पाण्डेय से नाला तक (अटल बाल उद्यान क्षेत्र) सी.सी. नाली निर्माण कार्य	890000.00	6700.00	750.00	A	3 माह	ई-रजिस्ट्रेशन द श्रेणी व उससे ऊपर	लोक निर्माण विभाग के भवन एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 से प्रभावशील तथा निविदा दिनांक तक संशोधित
2	नेताजी सुभाषचंद्र बोस वार्ड क्रमांक-31 अंतर्गत गायत्री नगर में बी.के.पाण्डेय से नाला तक (अटल बाल उद्यान क्षेत्र) सी.सी. रोड निर्माण कार्य	1524000.00	11500.00	750.00	A	3 माह	ई रजिस्ट्रेशन द श्रेणी व उससे ऊपर	लोक निर्माण विभाग के भवन एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 से प्रभावशील तथा निविदा दिनांक तक संशोधित
3	नेताजी सुभाषचंद्र बोस वार्ड क्रमांक-31 अंतर्गत श्रीराम नगर फेस-।। पुष्पमित्र पाण्डे (वकील) वाली गली में नाली निर्माण कार्य।	350000.00	3500.00	750.00	A	2 माह	ई रजिस्ट्रेशन द श्रेणी व उससे ऊपर	लोक निर्माण विभाग के भवन एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 से प्रभावशील तथा निविदा दिनांक तक संशोधित

नोट :-
1. कार्य से संबंधित जानकारी एवं शर्तें कार्यालयीन दिवस में नगर पालिक निगम जोन क्रमांक-09 से प्राप्त की जा सकती है एवं निविदा संबंधी जानकारी नगर निगम, रायपुर के पोर्टल से भी प्राप्त की जा सकती है।

रायपुर नगर निगम क्षेत्र में स्वच्छता हेतु संपर्क महापौर हेल्पलाईन 9301953294

जोन आयुक्त, जोन क्रमांक - 09, नगर पालिक निगम, रायपुर

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक व संपादक यशवंत धोटे* द्वारा बंसल स्कूल कैम्पस, अशोक विहार कॉलोनी, पण्डरी से मुद्रित कर ब्रिस्टल चौक छोटापारा रायपुर से प्रकाशित,
फोन व फैक्स : 0771-4035602, RNI NO.CHHHIN/2012/41806/ डाक पंजीयन क्रमांक सी.जी./आर.वाई.पी. डीएन/40/2019-2021

बिना शौचालय निर्माण के निकल गई 1 लाख 20 हजार राशि

लक्ष्मीकांत बंसोड़

बालोद। जिले के आदिवासी बाहुल्य ब्लॉक डौंडी के कांड़े ग्राम पंचायत में 14वें वित्त की राशि के बंदरबांट करने का मामला सामने आया है। कभी फर्जी बिल लगाकर पैसे निकाल लिए तो कभी सार्वजनिक शौचालय निर्माण के नाम पर 14वें वित्त की राशि को गबन कर लिया।

दरअसल कांड़े पंचायत के तत्कालीन जनप्रतिनिधियों द्वारा जनपद पंचायत डौंडी से सार्वजनिक शौचालय निर्माण के लिए 1 लाख 20 हजार रुपए राशि की मांग की गई थी। जिस पर जनपद की ओर से सहमति मिली और पंचायत को राशि दे दी गई। जनपद से मिली राशि का आधा फीसदी हिस्सा 60 हजार रुपए 14 वे वित्त की राशि से पूर्व कार्यकाल में पंचायत जनप्रतिनिधियों ने जनपद को वापस लौटा दिए थे लेकिन शेष राशि 60 हजार रुपए अब तक वापस नहीं की गई है।

अब नए सरपंच के कार्यकाल आने के बाद उन्हें 60 हजार शेष राशि भुगतान करने का नोटिस जनपद पंचायत डौंडी की ओर से मिला जिस पर सरपंच ने अपना पक्ष रखते हुए जवाब दे दिया कि पंचायत में तो इसी तरह से सार्वजनिक शौचालय निर्माण हुआ ही नहीं है तो सार्वजनिक शौचालय के नाम पर राशि का भुगतान कहां से होगा। वही वर्तमान सचिव द्वारा फर्जी बिल लगाकर पैसे आहरण करने का मामला भी सामने आ रहा है पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब एक व्यक्ति ने सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगी।

मामले की जानकारी मिलते ही जनपद पंचायत डौंडी के सीईओ ने 28 सितंबर 2020 को 14वें वित्त मूलभूत पंचायत निधि अंतर्गत प्रमाणकों की जांच के आदेश जारी किए थे जिसके जांच अधिकारी के रूप में उसी ऑडिटर को नियुक्त किया गया था जिन्होंने उस पंचायत में 14वें वित्त व तमाम बिलों का ऑडिट किया था। अब बड़ा सवाल यह उठता है कि अगर ऑडिटर को ही जांच अधिकारी बनाया जाए तो इतने बड़े भ्रष्टाचार का खुलासा कैसे हो पाएगा। मीडिया को इसकी जानकारी होने के बाद आनन-फानन में जनपद सीईओ ने जांच अधिकारी को बदल दिया लेकिन 28 सितंबर से जांच आदेश निकलने के बाद अब तक जांच पूर्ण नहीं होना संदेह के दायरे में आता है।

> पूरे मामले में वर्तमान सरपंच चित्रलेखा पायला ने कहा कि उनके गांव में सार्वजनिक शौचालय बना ही नहीं है। जिसकी जानकारी उन्हें पहले नहीं थी जब जनपद पंचायत डौंडी से उनके पास 60 हजार बकाया राशि भुगतान करने का आदेश मिला। उन्होंने जनपद पंचायत को 60 हजार की राशि देने से इनकार कर दिया।
>
> **चित्रलेखा पायला,** सरपंच

> वही पंचायत सचिव निकेश्वरी साहू ने कहा कि शौचालय निर्माण का मामला उनके कार्यकाल का नहीं है तो बिल के मामले में वह अपनी गलती स्वीकारी। नए-नए होने के कारण जानकारी नहीं होने से दिल लगाने की बात।
>
> **निकेश्वरी साहू,** पंचायत सचिव

> जनपद पंचायत सीईओ भुवनेश्वर सिंगराज ने कहा कि मामले में जांच के लिए आदेशित कर दिया गया है पूर्व में ऑडिटर को ही जांच अधिकारी बनाया गया था लेकिन अब जांच अधिकारी भी बदल दिया गया है। मामले में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफसख्त कार्यवाही की जाएगी।
>
> **भुवनेश्वर सिंगराज,** सीईओ, जनपद पंचायत

■ न्यूज गैलरी

हीमोफीलिया ट्रीटमेंट सेंटर प्रारंभ

खरोरा। हीमोफिलिया सोसायटी रायपुर चैप्टर का हीमोफिलिया ट्रीटमेंट सेंटर आज दिनांक 15 दिसंबर दिन मंगलवार को आशीर्वाद हॉस्पिटल खरोरा में खोला गया । हीमोफिलिया रक्त संबंधित एक अनुवांशिक बीमारी है जिसमें मरीजो के रक्त में फैक्टर VIII, फैक्टर IX, फैक्टर VII इत्यादि की कमी होती है जो शरीर में रक्त स्राव को रोकने के लिए अति आवश्यक होती है । छत्तीसगढ़ की हीमोफिलिया मरीजों को फैक्टर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है जिसके कारण मरीजों विकलांगता एवं अकाल मृत्यु प्राप्त हो रहे हैं । हीमोफिलिया फेडेशन ऑफइंडिया (HPI) मरीजों को 'दर्द रही तथा विकलांगता मुक्त जीवन' के अपने मिशन के तहत ट्रीटमेंट एवं निःशुल्क फैक्टर उपलब्ध करा रहा है । इसी उद्देश्य से एच एफआई द्वारा प्रारंभ किया गया है । हीमोफिलिया सोसायटी के अध्यक्ष डॉक्टर अशोक दुबे खुद हीमोफिलिया से ग्रसित है । मरीजों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा प्रदान करेंगे । हीमोफिलिया मरीज के जिन्हें चिकित्सा / फैक्टर संबंधी आवश्यकता हो वे हीमोफिलिया सोसायटी के अध्यक्ष डॉक्टर अशोक दुबे एवं महासचिव आर्यभट्ट शांडिल्य से संपर्क कर सकते हैं ।

सट्टा पटी लिखते हुए आरोपी गिरफ्तार

खरोरा। खरोरा समीप ग्राम भैंसमुड़ी में कुछ दिनों से मुखबिर द्वारा सूचना मिल रही थी की कुछ लोगो द्वारा वहा सट्टा पट्टी जैसे कार्य को अंजाम दिया जा रहे है और गांव के माहौल को बिगाड़ रहे है ।इस मामले को थाना प्रभारी ने पेट्रोलिंग बड़ाने को बोले जिससे अधिक पेट्रोलिंग और मुखबिर की मदद से सट्टा पट्टी वाले पुलिस के हाथों चढ़ गया वही थाना प्रभारी नितेश सिंह ठाकुर ने बताया कि खरोरा अंतर्गत ग्राम भैंसमूड़ी में मुखबिर सूचना के आधार पर छापामार कार्यवाही कर आरोपी टोमन साहू पिता महेश साहू आयु 23 वर्ष निवासी भैंसमूड़ी को पकड़ा गया। आरोपी के पास सटटा पट्टी व 11,100/ रुपये नगदी सट्टा रकम बरामद किया गया।

नवनियुक्त भाजपा जिलाध्यक्ष का किया स्वागत

खरोरा। भारतीय जनता पार्टी रायपुर जिला ग्रामीण के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष अनिमेष कश्यप का ग्राम माँठ में आतिशबाजी के साथ भव्य स्वागत किया गया। साथ साथ जिलाध्यक्ष जी के साथ मे आये पूर्व जिलाध्यक्ष डॉ गुलाब सिंह टिकरिहा, दीपक बैस, महेश नायक, विधानसभा मंडल अध्यक्ष रोबिन साहू,महामंत्री श्री शर्मा जी का भी भव्य स्वागत किया गया।स्वागत करने वालों में भाजयुमो रायपुर जिला ग्रामीण के उपाध्यक्ष डॉ सुरेन्द्र वर्मा,कोषाध्यक्ष सुनील सुनील नायक ,जिला मंत्री फनेन्द्र वर्मा, भजयुमो मंडल खरोरा के अध्यक्ष दीपक तिवारी,जनपद सदस्य चंद्रकांत साहू,जितेंद्र वर्मा,यशवंत कन्नौजे, चन्द्रिका वर्मा,लोकेन्द्र वर्मा,विजय यादव,शेषनारायण वर्मा,गोविंद मरावी,शीशम उइके बलदाऊ वर्मा,मनहरण,बसंत वर्मा,यशवन्त वर्मा,रोहित भारद्वाज पुनीत पटेल,ओंकार पटेल रामचंद्र वर्मा,ललित सगरवंशी,नेतराम वर्मा टिंकू,मन्नू,दीपक सेन मदन वर्मा लालजी,चिंताराम वैष्णव ,गंगाराम सोनवानी,अशोक शर्मा सहित बहुत से कार्यकर्ता थे।इस अवसर पर श्री कश्यप ने कहा कि राज्य सरकार के किसान विरोधी रवैया का पूरजोर विरोध किया जाएगा ।

उतई नपं में तीन एल्डरमेनों की नियुक्ति

उतई। उतई नगर पंचायत में तीन एल्डरमेनो की नियुक्ति हुई।नगर पंचायत उतई में विधान सभा चुनाव के दो वर्ष बाद एल्डरमैन की नियुक्ति हुई।स्थानीय विधायक व गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू के सहमति से वरिष्ठ कांग्रेसी खुमान सिंह साहू,युवा नेता चंद्रहास वर्मा व प्रेमनारायण साहू को एल्डरमैन बनाया गया।इनकी नियुक्ति पर नगर पंचायत अध्यक्ष डिकेन्द्र हिरवानी नगर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष बहादुर सिंह नेताम उपाध्यक्ष रविन्द्र वर्मा सभापति तोषण साहू प्रह्लाद वर्मा संजय गोश्वामी कुलदीप सैनी, प्रेम चंद साहू,संतोष बमभोले,भोला कोसरिया,तोरण साहू तोरण ठाकुर ,थान सिंगगुरूपरख, घनस्याम साहू (राजू) सहित कांग्रेसियो ने हर्ष जताया।

इतना तो मेरे बच्चे कर ही सकते हैं

शैक्षणिक स्तर सुधारने स्कूलों तक पहुंच रही चौथी योजना

नवप्रदेश संवाददाता

भाटापारा। इतना तो मेरे बच्चे कर ही सकते हैं। तीन योजनाओं के बाद अब चौथी योजना सरकारी स्कूलों तक पहुंचने जा रही है। पढ़ई तुंहर द्वार, पढ़ई तुंहर पारा और बुल्टू के बोल जैसी शैक्षणिक योजनाओं की सफलता के प्रयास के बाद भी सरकारी स्कूलों के बच्चों के शैक्षणिक स्तर में सुधार नहीं आता देखकर चौथा प्रयास चालू माह में ही स्कूलों में दस्तक देने को तैयार हो चुका है।

आ रही चौथी योजना

卐 इतना तो मेरे बच्चे कर ही सकते हैं卐। यह चौथी योजना चालू माह से ही स्कूलों तक पहुंचने जा रही है। तमाम प्रयासों के बावजूद तय शैक्षणिक स्तर तक पहुंचने में मिली असफलता के बाद अब पहली से आठवीं तक के बच्चों के बीच यह योजना चौथे प्रयास के रूप में पहुंच रही है। इसमें हिंदी और गणित विषय को लिया जाकर दोनों विषयों में बुनियादी दक्षता विकसित की जाएगी। चालू माह के तीसरे सप्ताह से मार्च तक के आकलन के बाद यह पता चल सकेगा कि अपेक्षित परिणाम कितने बच्चों ने हासिल की है और कितने बच्चों ने नहीं? जिन बच्चों ने दक्षता प्राप्त नहीं की होगी उनका उपचारात्मक शिक्षण किया जाएगा।

पढ़ई तुंहर द्वार के लिए महंगा एंड्रॉयड फोन, नेट पैक पर हो रहा बेहिसाब खर्च। पढ़ई तुंहर पारा के लिए कोरोना संक्रमण के भय से बच्चों को भेजने में पालकों की अनुमति का नहीं मिलना और लाउडस्पीकर के जरिए पढ़ई जैसे अभिनव प्रयासों को लागू किए जाने के बाद भी अपेक्षित शैक्षणिक स्तर को हासिल कर पाने में असफलता के बाद चौथा प्रयास ÷ इतना तो मेरे बच्चे कर ही सकते हैं÷ के माध्यम से पहुंचने जा रहा है। मार्च के तीसरे माह के आकलन के बाद पता चल सकेगा कि योजना कैसी रही और बच्चों ने तय शैक्षणिक स्तर तक पहुंच बनाई या नहीं?

तीन योजना- तीन बाधा

पढ़ई तुंहरद्वार में बच्चों के लिए अतिरिक्त एंड्रॉयड फोन की खरीदी ने बाधा डाली तो पढ़ई तुंहर पारा को पालकों ने मंजूरी नहीं दी। लाउडस्पीकर के माध्यम से पढ़ाई की योजना धरी रह गई क्योंकि ना तो टीचरों ने रुचि दिखाई ना पालकों और ना बच्चों ने। इस योजना में लाउडस्पीकर पर होने वाले खर्च की जिम्मेदारी भी अतिरिक्त बाधा बनकर सामने आई। लिहाजा तीनों योजनाएं अच्छी होने के बावजूद सफल नहीं हो सकी।

खर्च और कोरोना

ऑनलाइन क्लास के लिए एंड्रॉयड मोबाइल की खरीदी, बुल्टू के बोल के लिए अतिरिक्त साधन पर होने वाला खर्च, योजना की सफलता की राह में इसलिए बाधा बना क्योंकि पालक, बच्चों के लिए अतिरिक्त सेट खरीदने की क्षमता नहीं रखते। इसके बावजूद 40त्न पालकों ने इस की खरीदी की लेकिन क्लास के समय यह बच्चों के पास उपलब्ध नहीं होते। बुल्टू के बोल के लिए मोबाइल के साथ अतिरिक्त साधन पर होने वाला खर्च और मोहल्ला क्लास पर पालकों की अनुमति का नहीं मिलना योजना को धरातल पर नहीं उतरने का मजबूत कारण बन चुकी है। यह बात स्कूलें और पालक भी स्वीकार कर रहे हैं।

कांग्रेस सरकार का दो साल बेमिसाल : अजय ताम्रकार

लवन। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार को 17 दिसम्बर को आज पूरे दो साल गए। राज्य सरकार के दो साल बेमिसाल रहे। सरकार ने जो वादा किया था उसे पूरा किया। जनता को राज्य सरकार पर पूरा विश्वास है उक्त बातें कांग्रेस सेवादल के प्रदेश सचिव अजय ताम्रकार ने कही। श्री ताम्रकार ने कहा कि कांग्रेस सरकार हमेंशा लोगों को लाभ देने का कार्य करती है। चाहे वह ऋण माफी हो, 2500 रूपये क्वींटल में धान की खरीदी, 400 यूनिट तक बिजली उपभोक्ता को आधे बिजली बिल हो, लघु वनोपज में वृद्धि जैसे अनेक कार्य छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल की सरकार ने किया।

संसदीय सचिव ने किया विकास पर आधारित फोटो प्रदर्शनी का शुभारंभ

■ दो दिवसीय प्रदर्शनी कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित

गरियाबंद। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नेतृत्व वाली सरकार के गौरवपूर्ण दो वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में शासन के संसदीय सचिव सुश्री शकुंतला साहू ने आज जिला कलेक्टोरेट के परिसर में राज्य के विकास और नवनिर्माण कार्यो पर आधारित दो दिवसीय फोटो प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। इस अवसर पर कलेक्टर निलेश कुमार क्षीरसागर ,पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल भी मौजूद थे। इस अवसर पर जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रकाशित उन्नति का हर्ष, विरासत और विस्तार, संबल एवं छत्तीसगढ़ विचारमाला जैसे पुस्तको का सेट भेट कर उनका आत्मीय स्वागत किया। तत्पश्चात् सुश्री साहू ने फोटो प्रदर्शनी का अवलोकन किया। शुभारंभ अवसर पर अपर कलेक्टर जे आर चैरसिया सहित विभिन्न विभागों के अधिकारीगण उपस्थित थे। दो दिवसीय विकास प्रदर्शनी का आयोजन जिला जनसंपर्क विभाग द्वारा किया जा रहा है।

संसदीय सचिव सुश्री साहू ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री बघेल के नेतृत्व मे दो वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विकास और निर्माण कार्यो पर आधारित दो दिवसीय फोटो प्रदर्शनी राज्य सरकार की एक अच्छी पहल है। उन्होने कहा कि फोटो प्रदर्शनी में विकास और निर्माण कार्यो को प्रदशित की गई है। जो आम लोगों के जानकारी के लिए सार्थक होगी। इसी तरह उन्होने जनसंपर्क विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं पर आधारित पुस्तकों के प्रकाशन पर अपनी प्रशन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि प्रकाशित पुस्तके आम लोगों की जानकारी और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालो के लिए उपयोगी और सार्थक साबित होगी। कार्यक्रम में कलेक्टर श्री क्षीरसागर ने जानकारी दी कि राज्य शासन की विभिन्न योजनाओं पर आधारित जनसंपर्क विभाग द्वारा बड़ी संख्या में पुस्तकों का प्रकाशन किया गया है। प्रदर्शन का अवलोकन करने वाले लोगों, जनप्रतिनिधियों और मीडिया के प्रतिनिधियों को पुस्तकों का वितरण किया जाएगा। इसके अलावा आयोजित कार्यक्रमों में भी पुस्तकों का वितरण किया जाएगा।

उम्मीद से ज्यादा क्षेत्र में विकास भूपेश बघेल का क्षेत्र में बड़ा मान

नवप्रदेश संवाददाता

देवभोग। बिंद्रानवागढ़ विधानसभा सीट से लगातार तीन बार क्षेत्र की जनता कांग्रेश को नकारने के बाद अन्य विधानसभा की तुलना इस विधानसभा क्षेत्र में विकास होने की उम्मीद विपक्ष के साथ साथ आमजन में काफी कम रही। लेकिन भूपेश बघेल सरकार की 2 वर्ष कार्यकाल में सौगातो की झड़ी ने किसान मजदूर पीड़ितों की सोच को पूरी तरह बदल कर रख दिया अब आम लोग के अलावा विपक्ष के जनप्रतिनिधि भी भूपेश पर भरोसा करते दिखाई पड़ रहे हैं। क्योंकि विकास की झलक साफ-साफ नजर आ रही है। यहां बताना लाजमी होगा कि भूपेश बघेल सरकार की शानदार आज 2 वर्ष पूरा हुआ है जिसकी जश्न कांग्रेश के सिपाहियों के साथ किसान मजदूर सहित तमाम वर्ग के लोग मना रहे हैं। क्योंकि बघेल की रणनीति ने मजदूरों को मजदूरी देने के साथ गांव गांव की सड़कों को चमका कर सिंचाई व्यवस्था दुरुस्त करने में काफी हद तक कामयाब रही यही कारण है कि भूपेश बघेल सबसे ज्यादा लोकप्रिय साबित हो रहे हैं। क्योंकि कोरोना काल में जहां गरीब मजदूर के हाथ खाली रहे तब भूपेश की सरकार ने मनरेगा के तहत हजारों लोगों को रोजगार देकर उनके हाथ पर पैसा डालने का काम किया तब जाकर दो वक्त का गुजारा हो पाता रहा। बताया जाता है कि इस बार 22000 मजदूरों को मजदूरी दिये जाने के अलावा लॉकडाउन में बाहर से आए मजदूरों में से 800 लोगों को मजदूरी की व्यवस्था किया गया जिससे काफी हद तक मजदूरों को राहत भी मिला है। इसलिए क्षेत्र के लोग भूपेश पर भरोसा कर शत प्रतिशत समर्थन में नजर आ रहे हैं

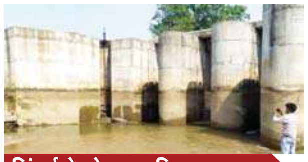

सिंचाई के क्षेत्र उपलब्धि

मांडागांव से लेकर सुपेबेड़ा के अंतिम गांव तक 35 करोड़ की लागत से नहर पुल पुलिया बनाया जा रहा है जिससे करीब 16 हजार 500 हेक्टेयर भूमि पर रबि एवं खरीफफसल निकाला जा सकता है इसके अलावा भेजीपदर में 29 करोड़ की लागत से डायवर्सन बनाया जा रहा है और पीपलखुंटा 4 करोड से से बांध कड़ेरापानी पर3 करोड से डायवर्सन बनाने के साथ धूपकोट मैं 2 करोड़ से लाइनिंग कार्य कराया जा रहा है मतलब भूपेश सरकार द्वारा क्षेत्र के किसानों को सिंचाई की व्यवस्था कराने के लिए करीब 73 करोड़ कार्य कराया जा रहा है जिससे 10,000 से ज्यादा एकड़ में किसान डबल फसल निकालकर अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं।

सड़क की उपलब्धि : वर्षो से गड्ढे भरे मार्ग में आवागमन कर लोग दुर्घटना का शिकार होते रहे लेकिन इस बार वह सड़क काफी हद तक ठीक ठाक हो गई है मुख्यमंत्री एवं पीएम सड़क योजना के तहत ब्लाक में 25 करोड़ से ज्यादा का मरम्मत और चौड़ीकरण कार्य कराया है सबसे बड़ी उपलब्धि मुख्यालय माझीपारा से बरकानी सड़क के चौड़ीकरण को माना जाता है इसके अलावा कुंमडई से निषटीगुड़ा सड़क चमकाने से भी भूपेश सरकार ग्रामीणों के बीच खूब वाह वाही बटोर रही है क्योंकि लगभग हर छोटी-बड़ी गांव में सड़क का जाल बिछाया जा रहा है

किडनी पीड़ितों चिकित्सा की उपलब्धि : सुपेबड़ा में लगातार किडनी बीमारी से कुछ समय पहले मौत का तांडव देखा जाता रहा लेकिन अब भूपेश बघेल सरकार द्वारा पीड़ितों के लिए इलाज की समुचित व्यवस्था करने के चलते पीड़ित गांव से लेकर राजधानी के अस्पताल में खुशी खुशी अपना इलाज करा कर जिंदगी बचा रहे हैं जबकि बीते सरकार कार्यकाल के दौरान किडनी पीड़ित एवं परिजन अस्पताल प्रबंधन से लड़ झगड़ कर वापस लौटते रहे लेकिन अब बकायदा पीड़ित के लिए घर पर इलाज पहुंच रहा है यही वजह है कि वर्तमान स्थिति में मौत का खेल देखने को नहीं मिल रहा है।

छत्तीसगढ़ सरकार ने दो साल में विकास का कीर्तिमान स्थापित किया

■ संसदीय सचिव सुश्री शकुंतला साहू ने छत्तीसगढ़ सरकार की दो वर्ष की उपलब्धियां बताई

■ राज्य गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के थीम पर आगे बढ़ रही है

गरियाबंद । राज्य शासन के संसदीय सचिव सुश्री शकुंतला साहू ने छत्तीसगढ़ सरकार के दो वर्ष की उपलब्धियां बताई। उन्होने कलेक्ट्रट के सभा कक्ष में प्रेस वार्ता को संबोधित किया। संसदीय सचिव सुश्री साहू ने कहा कि प्रदेश में नई सरकार बनने के बाद पिछले दो वर्षो से छत्तीसगढ़ राज्य का चहुमुखी विकास हो रहा है। प्रदेश में नई सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में हम गढबो नवा छत्तीसगढ़ के संकल्प के साथ काम कर रहे है। प्रदेश की जनता से किए वायदे पर हमारी सरकार ने पहले ही दिन से ही अमल शुरू किया। शपथ ग्रहण के तत्काल बाद ही किसानों की कर्ज माफी और 2500 रूपए में धान खरीदी के निर्णय लिए गए। राज्य सरकार ने पिछले दो वर्षा में गांव, गरीब, किसान, मजदूर, वनआश्रितों, महिलाओं, बच्चों, युवाओं सहित प्रदेश के सभी वर्गो के विकास के लिए कदम उठाए गए है। उन्होंने कहा है कि गांव से लेकर शहर तक राज्य की खुशहाली, आर्थिक समृद्धि, तरक्की के लिए इन दो वर्षो में हमने 24

बड़े-बड़े वायदे पूरे किए है। आने वाले पांच वर्षो में सभी वायदे पूरे किए जाएंगे। इस अवसर पर कलेक्टर नीलेशकुमार क्षीरसागर, पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल, जिला पंचायत सीईओ चन्द्रकांत वर्मा, भावसिंह साहू, जिला पंचायत सदस्य श्रीमती लक्ष्मी साहू, श्रीमती धनेश्वरी मरकाम एवं मीडिया के प्रतिनिधि मौजूद थे।

प्रेसवार्ता में सुश्री साहू ने कहा कि इन दो वर्षो में गरियाबंद जिले के विकास और युवाओं को रोजगार के अवसर देने की दिशा में काम किया जा रहा है। उन्होने कहा कि राज्य सरकार धान से बायो एथेनॉल उत्पादन के क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया है। नवीन औद्योगिक नीति के तहत उच्च प्राथमिकता सूची में जैव ईधन शामिल है। संसदीय सचिव ने पत्रकार वार्ता में बताया कि प्रदेश के 18 लाख किसानों का करीब 9 हजार करोड़ रूपए अल्पकालीन कृषि ऋण माफ, जल कर के रूप में 17 लाख किसानों का 244 करोड़ रुपए बकाया माफ, बस्तर जिले में किसानों की 1764.61 हेक्टेयर अधिग्रहित भूमि वापस, किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य दिलाने तथा फसल उत्पादकता में वृद्धि के उद्देश्य से प्रदेश में राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू, 19 लाख से अधिक किसानों को 5750 करोड़ रुपए की आदान सहायता चार किश्तों में, तीन किश्तों में 4500 करोड़ रूपए का भुगतान, अंतिम किश्त आगामी मार्च महीने में दी जाएगी। हमारी सरकार ने देश में अपने तरह की पहली अनूठी योजना-गोधन न्याय योजना शुरू की, जिसके तहत 2 रुपए किलो की दर से गोठानों में गोबर की खरीदी की जा रही।

चाहे आप इंडस्ट्री से हों या बाहरी व्यक्ति, केवल अच्छा काम और प्रतिभा ही बिकती है: तमन्ना

नई दिल्ली। बॉलीवुड में हाल फिलहाल में बाहरी और इंडस्ट्री का होने को लेकर चल रही बहस में कई अभिनेताओं, निर्देशकों और लेखकों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। इस सूची में शामिल होते हुए अभिनेत्री तमन्ना भाटिया ने भी अपनी राय दी है। तमन्ना को लगता है कि फिल्म इंडस्ट्री एक आसान लक्ष्य है। तमन्ना कहती हैं कि मुझे लगता है, इंडस्ट्री अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। किसी भी चीज के लिए फिल्म उद्योग को दोषी ठहराना गलत और अनुचित है। क्योंकि हम हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, तो इसके बारे में बात करना आसान हो जाता है। हर जगह अच्छे और बुरे लोग होते हैं। तमन्ना ने चांद सा रोशन चेहरा (2005), हिम्मतवाला (2013), मनोरंजन (2014) जैसी हिंदी फिल्में की हैं और बोले चूड़ियां में नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ नजर आएंगी। ऊपरी तौर पर इंडस्ट्री के अंदरूनी सूत्रों के बारे में चर्चा होती रहती है। तमन्ना से पूछने पर कि क्या उन्हें बाहरी व्यक्ति के रूप में किसी पक्षपात का सामना करना पड़ा है, क्योंकि उन्होंने पहले बॉलीवुड में पर्याप्त काम नहीं मिलने की बात कही थी, जबकि साउथ फिल्म इंडस्ट्री ने उन्हें कई बढ़िया ऑफर दिए थे। उन्होंने इस पर कहा, हां, मैं इंडस्ट्री से नहीं हूं, मेरे पास कोई गॉडफादर या संरक्षक नहीं है। मैंने सब कुछ अपने दम पर किया है।

अजीब लगता है 50 प्लस वाले ऐक्टर के साथ रोमांस

नई दिल्ली। अभिनेत्री दीया मिर्जा ने फिल्मों में अधेड़ उम्र के हीरो के साथ टीनएजर अभिनेत्रियों के रोमांस को लेकर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि अधेड़ उम्र के अभिनेताओं के साथ टीनएजर ऐक्ट्रेसेज का फिल्मों रोमांस देखना उन्हें अजीब लगता है। दीया मिर्जा ने कहा कि इंडस्ट्री युवा चेहरों को पसंद करती है और नीना गुप्ता जैसी ऐक्ट्रेस इसमें अपवाद की तरह हैं। एक इंटरव्यू में दीया मिर्जा ने कहा कि यह बेहद अजीब लगता है कि अधेड़ उम्र के ऐक्टर टीनएजर ऐक्ट्रेस के साथ रोमांस करें। उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इंडस्ट्री में पुरुषों का दबदबा है। दीया मिर्जा ने टाइम्स ऑफइंडिया से बात करते हुए कहा, 'दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य यह है कि कहानियां ही इस तरह से नहीं लिखी जातीं, जिनमें अधिक उम्र के महिला कैरेक्टर्स को शामिल किया जा सके, जितनी की मेल ऐक्टर्स के लिए लिखी जाती हैं। इससे भी दुर्भाग्यपूर्ण तब होता है, जब अधेड़ उम्र के अभिनेता युवा का रोल प्ले करें। ब्यूटी का आइडिया हमेशा से युवा होने के साथ जुड़ा रहा है। शायद इसीलिए हमेशा युवा चेहरों को ही इंडस्ट्री में जगह देने का चलन रहा है।' नीना गुप्ता का उदाहरण देते हुए दीया मिर्जा कहती हैं कि वह एक अपवाद की तरह हैं।

मां बनने वालीं करीना कपूर खान के चेहरे पर दिखा प्रेग्नेंसी ग्लो, ब्लैक ड्रेस में फ्लॉन्ट किया बेबी बंप

नई दिल्ली। बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर खान इस समय अपना प्रेग्नेंसी पीरियड एंजॉय कर रही हैं। प्रेग्नेंसी फेज में जब बात फैशन की आती है तो करीना कपूर इसमें पीछे नहीं रहतीं। करीना, एक बोरिंग स्वेटशर्ट को भी स्टाइलिश बना देती हैं। तैमूर अली खान के दौरान करीना कपूर खान थाई हाई स्लिट ड्रेस और हाई हील्स में नजर आई थीं। अब वह दूसरी बार मां बनने वाली हैं। इस बार करीना लॉन्ग ड्रेस से लोगों को फैशन टीप्स दे रही हैं। हाल ही में करीना कपूर खान अपने टॉक शो 'व्हॉट वूमेन वॉन्ट' के दौरान स्टाइलिश अंदाज में नजर आईं। करीना कपूर खान ने टाइट ब्लैक ड्रेस पहनी है, जो कि बहुत ही साधारण नजर आ रही है। फिर भी काफी अच्छी दिख रही है। करीना के फेस पर प्रेग्नेंसी ग्लो साफनजर आ रहा है। ब्लैक ड्रेस में वह बेबी बंप फ्लॉन्ट करती दिखाई दे रही हैं। सोशल मीडिया पर उनकी तमाम फोटोज वायरल हो रही हैं। करीना कपूर प्रेगनेंट हैं और जल्द ही दूसरे बच्चे को जन्म देने वाली हैं। इस बीच बच्चे का नाम उन्होंने क्या सोचा है, इस बारे में उनका कहना है कि उन्होंने तैमूर के नाम पर उठे विवाद से सीखा है। और पहले से किसी नाम को लेकर विचार नहीं किया है। अभिनेत्री नेहा धूपिया से What Women Want के एपिसोड में करीना कपूर ने कहा कि तैमूर के जन्म के वक्त उठे विवाद के बाद पहले से नाम न सोचने का फैसला लिया है।

नए लुक में कहर ढा रही हैं आलिया भट्ट, इंस्टाग्राम पर शेयर की फोटो

नई दिल्ली। अभिनेत्री आलिया भट्ट बॉलिवुड के उन स्टार्स में गिनी जाती हैं, जो सोशल मीडिया का काफी इस्तेमाल करती हैं। अकसर वह अपने फैन्स के साथ अपनी तस्वीरें और वीडियोज शेयर करती रहती हैं। अब उन्होंने अपना ब्लैक आउटफिट में एक ग्लैमरस फोटो इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। आलिया की इस तस्वीर को सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया जा रहा है। इस ब्लैक ड्रेस में वह काफी ग्लैमरस नजर आ रही हैं। बालों को खुला रखते हुए उन्होंने जो पोज दिया है, उसे फैन्स काफी लाइक कर रहे हैं। इस तस्वीर के साथ आलिया भट्ट ने कैप्शन में लिखा है, 'कैजुअली फ्लैक्सिंग।' आलिया भट्ट की ओर से तस्वीर अपलोड करने के महज एक घंटे के भीतर ही 5 लाख से ज्यादा फैन्स उनकी तस्वीर को लाइक कर चुके हैं। फिलहाल आलिया भट्ट अपने बॉयफ्रेंड रणबीर कपूर के साथ गोवा में वक्त बिता रही हैं। हाल ही में गोवा में ही उन्हें एक फुटबॉल मैच के दौरान रणबीर कपूर के साथ देखा गया था। दोनों ने ही टीम के समर्थन में जर्सी पहनी हुई थी और स्टैंड से टीम का उत्साह बढ़ा रहे थे।

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. 202011100400355

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक वी वेणु गोपाल राव पिता श्री बी. नरसिम्हा राव निवासी ग्राम उमरपोटी तह. व जिला दुर्ग के द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम उमरपोटी प.ह.न. 42 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 726/12 रकबा 0.013 हें/ 1700 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 19.11.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर

अनुविभागीय अधिकारी
दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर जिला दुर्ग (छ.ग.)

व्यक्तिगत-सूचना

रा.प्र.क्र./अ-06/ वर्ष 2020-21
ई.पंजी. 202011101000163

प्रति,

श्रीमती चंद्रिका टांक पति स्व. मनोहर लाल टांक निवासी- दत्तावाड़ी ग्रापं. आफिस के पास नेरे जाम्भे पुना महाराष्ट्र
पक्षकार- श्रीमती भावना परमार पति श्री भगवान जी परमार, निवासी कैलाश नगर कुरुद भिलाई जिला दुर्ग
विरुद्ध : श्रीमती चंद्रिका टांक पति स्व. मनोहर लाल टांक निवासी- दत्तावाड़ी ग्रापं. आफिस के पास नेरे जाम्भे।

--00---

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि श्रीमती भावना परमार पति श्री भगवान जी परमार निवासी कैलाश नगर कुरुद भिलाई जिला दुर्ग छ.ग. द्वारा ग्राम कुरुद प.ह.न 19 अ तह. व जिला दुर्ग स्थित भूमि ख.न. 1574/67 रकबा 950 वर्ग. भूमि को आपसे क्रय किया गया है। उक्त संबंध में आपकी उपस्थिति आवश्यक है। अतः आप उक्त भूमि के संबंध में कुछ कहना चाहते है तो प्रकरण सुनवाई दिनांक 22.12.2020 को प्रातः 11 बजे न्यायालय में स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते है।

अतः आपको इस संबंध में आपत्ति एवं दावा उजर पेश करना हो तो पेशी दिनांक 16.12.2020 तक स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति दावा या उजर प्रस्तुत कर सकते है। बाद में प्राप्त आपत्ति आवेदन पर कोई कार्यवाही नही किया जावेगा।

आज दिनांक 10.12.2020 को मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय के पदमुद्रा से प्रकाशन हेतु जारी किया गया है।

मुहर

अतिरिक्त तहसीलदार
भिलाई नगर (छ.ग.)

न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

रा.प्र.क्र.//अ-06/वर्ष 2020-21
ई.पंजी. 202012100700196

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदिका श्रीमती प्रभागिरी गोस्वामी पति आशीष गिरी निवासी ग्राम पंचशील नगर तहसील व जिला दुर्ग के द्वारा ग्राम बोरसी तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 246/3 रकबा 1250 वर्गफीट भूमि को विक्रेता देवकी पिता स्व. जगतराम निवासी ग्राम कदम प्लाजा के सामने बोरसी दुर्ग से रजिस्टर्ड बैनामा दिनांक 09.12.2020 को क्रय किया गया है। उक्त आवेदित भूमि को रजिस्टर्ड बैनामा के आधार पर क्रेता के पक्ष में प्रमाणीकरण किये जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 30.12.2020 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 14.12.2020 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर

तहसीलदार
दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

रा.प्र.क्र.//अ-06/वर्ष 2020-21
ई.पंजी. 202012100700193

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री अवनिकांत सिंह पिता जयनारायण साहू निवासी ग्राम सिधिया नगर दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग के द्वारा ग्राम बोरसी तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 246/3 रकबा 1342 वर्गफीट भूमि को विक्रेता देवकी पिता स्व. जगतराम निवासी ग्राम कदम प्लाजा के सामने बोरसी दुर्ग से रजिस्टर्ड बैनामा दिनांक 09.12.2020 को क्रय किया गया है। उक्त आवेदित भूमि को रजिस्टर्ड बैनामा के आधार पर क्रेता के पक्ष में प्रमाणीकरण किये जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 30.12.2020 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 14.12.2020 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर

तहसीलदार
दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

रा.प्र.क्र.//अ-06/वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री खोमलाल देशमुख पिता रघुनंदन प्रसाद देशमुख निवासी ग्राम बोरी बुजुर्ग तहसील धमधा जिला दुर्ग के द्वारा ग्राम कसारीडीह तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 765/29 रकबा 0.010 हे. भूमि को विक्रेता श्रीमती मीना चौरे पति रुपेन्द्र चौरे निवासी ग्राम विवेकानंद नगर दुर्ग से रजिस्टर्ड बैनामा दिनांक 05.11.2020 को क्रय किया गया है। उक्त आवेदित भूमि को रजिस्टर्ड बैनामा के आधार पर क्रेता के पक्ष में प्रमाणीकरण किये जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 28.12.2020 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 11.12.2020 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर

तहसीलदार
दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

रा.प्र.क्र.//अ-06/वर्ष 2020-21
ई.पंजी. 202012100700091

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री दिनेश कुमार यादव पिता रामाकटारी यादव निवासी ग्राम आमापारा दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग के द्वारा ग्राम दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 1308/29 रकबा 400 वर्गफीट भूमि को उपहारकर्ता रामा पिता स्व. पुनऊ कटारी निवासी ग्राम आमापारा दुर्ग को रजिस्टर्ड उपहार पत्र दिनांक 26.11.2020 द्वारा उपहार में दिया गया है। उक्त आवेदित भूमि को रजिस्टर्ड उपहार पत्र के आधार पर नामांतरण किये जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 28.12.2020 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 07.12.2020 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर

तहसीलदार
दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

रा.प्र.क्र.//अ-06/वर्ष 2020-21
ई.पंजी. 202012100700090

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री रमेश यादव पिता रामा यादव निवासी ग्राम आमापारा दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग के द्वारा ग्राम दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 1308/29 रकबा 400 वर्गफीट भूमि को उपहारकर्ता रामा पिता स्व. पुनऊ कटारी निवासी ग्राम आमापारा दुर्ग को रजिस्टर्ड उपहार पत्र दिनांक 26.11.2020 द्वारा उपहार में दिया गया है। उक्त आवेदित भूमि को रजिस्टर्ड उपहार पत्र के आधार पर नामांतरण किये जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 28.12.2020 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 07.12.2020 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर

तहसीलदार
दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

रा.प्र.क्र.//अ-06/वर्ष 2020-21
ई.पंजी. 202012100700060

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक डालर कुमार पिता हिरेन्द्र कुमार परमार निवासी ग्राम शंकर नगर तहसील व जिला दुर्ग के द्वारा ग्राम दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 1207/1 रकबा 1240 वर्गफीट भूमि जो कि आवेदक/शामिलात सहखातेदार के नाम पर वर्तमान राजस्व अभिलेख में दर्ज है। आवेदित भूमि के खातेदार/ वसीयतकर्ता कमल कुमार परमार आ. देवराम परमार के द्वारा आवेदक के पक्ष में दिनांक 27.02.2012 को अपंजीकृत वसीयतनामा निष्पादित किया गया है। वसीयतकर्ता की मृत्यु हो जाने पर अपंजीकृत वसीयतनामा के आधार पर आवेदक का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज किये जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 24.12.2020 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 03.12.2020 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर

तहसीलदार
दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

रा.प्र.क्र.//अ-06/वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक अरविंद कुमार साहू पिता स्व. पुरुषोत्तम साहू निवासी ग्राम आदर्श नगर तहसील व जिला दुर्ग के द्वारा ग्राम पोटियाकला तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 148/12 रकबा 0.022 हे. भूमि जो कि आवेदक/ शामिलात सहखातेदार के नाम पर वर्तमान राजस्व अभिलेख में दर्ज है। आवेदित भूमि के खातेदार श्रीमती सरीता साहू पति पुरुषोत्तम साहू की मृत्यु हो जाने पर फौती दर्ज कर मृतक खातेदार के सभी विधिक वारिसानों का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज किये जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 26.12.2020 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 11.12.2020 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर

तहसीलदार
दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. 202012100400126

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री परमेश्वर कुमार साहू पिता बोहरिकराम साहू निवासी तार्री बालोद द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम धनोरा प.ह.न. 39 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 297/3 रकबा 0.015 हें अर्थात 1650 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु छ.ग.भू.रा. संहिता 1959 की धारा 59 (2) के तहत पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है, जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा आपत्ति हो तो प्रकरण में नियत 07 दिवस के भीतर तक स्वयं अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 03.12.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया है।

मुहर

अनुविभागीय अधिकारी
दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. 202012100400219

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक श्री प्रकाश साहू आ. बी.आर. साहू निवासी बोरसी बस्ती दुर्ग द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम बोरसी प.ह.न. 19/23 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 347/15 रकबा 0.008 हें/ 875 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 09.12.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर

अनुविभागीय अधिकारी
दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. 202012100400268

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक श्री खिलेन्द्र कुमार सोनवंशी पिता पुनीतराम सोनवंशी निवासी ग्राम मोहभट्ठा तह. पाटन द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम उमरपोटी प.ह.न. 42 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 970/5 रकबा 0.018 हें/ 2000 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 11.12.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर

अनुविभागीय अधिकारी
दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. 202012100400286

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक श्री खिलेन्द्र कुमार सोनवंशी पिता पुनीतराम सोनवंशी निवासी ग्राम मोहभट्ठा तह. पाटन द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम उमरपोटी प.ह.न. 42 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 330/13 रकबा 0.020 हें/ 2580 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 11.12.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर

अनुविभागीय अधिकारी
दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. 202012100400305

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदिका श्रीमती मनीषा यादव पति नोहर यादव निवासी कसारीडीह तह. व जिला दुर्ग द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम उतई प.ह.न. 42 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 493/12 रकबा 0.016 हें/ 1680 वर्गफीट भूमि का आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 15.12.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर

अनुविभागीय अधिकारी
दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. 202012100400306

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदिका श्रीमती कृष्णी यादव पति अशोक यादव निवासी कसारीडीह तह. व जिला दुर्ग द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम उतई प.ह.न. 42 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 493/11 रकबा 0.017 हें/ 1680 वर्गफीट भूमि का आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 15.12.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर

अनुविभागीय अधिकारी
दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. 202012100400278

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक श्री किशोर कुमार आ. पुरुषोत्तम चंद्राकर निवासी घुघसीडीह तह. व जिला दुर्ग द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम उतई प.ह.न. 42 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 891/4 रकबा 0.032 हें/ 3540 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 14.12.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर

अनुविभागीय अधिकारी
दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

रा.प्र.क्र.//अ-06/वर्ष 2020-21
ई.पंजी.- 202012100700016

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक दिलीप सिंह, मेघराज अन्य 01 पिता स्व. मनहरण सिंह निवासी ग्राम शंकर नगर दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग के द्वारा ग्राम दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 1264/43 रकबा 0.011 हे. भूमि जो कि आवेदक एवं अन्य सहखातेदार के नाम पर शामिलात रुप से वर्तमान राजस्व अभिलेख में दर्ज है। आवेदित भूमि का सभी खातेदारों के मध्य रजिस्टर्ड बंटवारानामा दिनांक 31.10.2020 को किया गया है। उक्त रजिस्टर्ड बंटवारानामा के आधार पर नामांतरण किये जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 21.12.2020 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 01.12.2020 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर

तहसीलदार
दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

रा.प्र.क्र.//अ-06/वर्ष 2020-21
ई.पंजी.- 202012100700135

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदिका शीला सिन्हा पति विरेन्द्र कुमार सिन्हा निवासी ग्राम कुसुमकसा तहसील दल्लीराजहरा व जिला बालोद के द्वारा ग्राम दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 2/67 रकबा 650 वर्गफीट हे. भूमि को विक्रेता अशोक सिंह वगै. पिता महेन्द्रनाथ सिंह निवासी ग्राम दीपक नगर दुर्ग से रजिस्टर्ड बैनामा दिनांक 05.12.2020 को क्रय किया गया है। उक्त आवेदित भूमि को रजिस्टर्ड बैनामा के आधार पर क्रेता के पक्ष में प्रमाणीकरण किये जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 26.12.2020 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 08.12.2020 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर

तहसीलदार
दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

रा.प्र.क्र.//अ-06/वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदिका श्रीमती सुभाषिनी शर्मा पति प्रमोद कुमार शर्मा निवासी ग्राम सिविल लाईन दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग के द्वारा ग्राम पोटियाकला तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 161/161 का टु. रकबा 0.009 हे. भूमि को विक्रेता श्रीमती तरुणिमा श्रीवास्तव पति संदीप श्रीवास्तव निवासी ग्राम गयानगर दुर्ग से रजिस्टर्ड बैनामा दिनांक 20.11.2020 को क्रय किया गया है। उक्त आवेदित भूमि को रजिस्टर्ड बैनामा के आधार पर क्रेता के पक्ष में प्रमाणीकरण किये जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 24.12.2020 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 11.12.2020 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर

तहसीलदार
दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

रा.प्र.क्र.//अ-06/वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदिका श्रीमती वंदना देशमुख पति राकेश देशमुख निवासी ग्राम गवलीपारा दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग के द्वारा ग्राम पोटियाकला तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 80/279 रकबा 0.011 हे. भूमि को विक्रेता नुपुर कोठारी पिता/पति रमेश कोठारी निवासी ग्राम पद्मनाभपुर दुर्ग से रजिस्टर्ड बैनामा दिनांक 31.08.2020 को क्रय किया गया है। उक्त आवेदित भूमि को रजिस्टर्ड बैनामा के आधार पर क्रेता के पक्ष में प्रमाणीकरण किये जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 24.12.2020 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 11.12.2020 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर

तहसीलदार
दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

रा.प्र.क्र.//अ-06/वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदिका श्रीमती सत्या बेलचंदन पति ढालसिंह बेलचंदन निवासी ग्राम तिरगा तहसील व जिला दुर्ग के द्वारा ग्राम पोटियाकला तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 80/279 रकबा 0.013 हे. भूमि को विक्रेता नुपुर कोठारी पिता/पति रमेश कोठारी निवासी ग्राम पद्मनाभपुर दुर्ग से रजिस्टर्ड बैनामा दिनांक 31.08.2020 को क्रय किया गया है। उक्त आवेदित भूमि को रजिस्टर्ड बैनामा के आधार पर क्रेता के पक्ष में प्रमाणीकरण किये जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 24.12.2020 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 11.12.2020 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर

तहसीलदार
दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

रा.प्र.क्र.//अ-06/वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री पी. सूरज कुमार पिता पी श्रीनिवास निवासी ग्राम रिसाली भिलाई तहसील व जिला दुर्ग के द्वारा ग्राम पोटियाकला तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 369/25, 372/3, 369/26, 372/4 रकबा 0.012 हे. भूमि को विक्रेता पार्टनर विश्वास गुप्ता पिता अशोक गुप्ता निवासी ग्राम पोटिया रोड बोरसी दुर्ग से रजिस्टर्ड बैनामा दिनांक 02.12.2020 को क्रय किया गया है। उक्त आवेदित भूमि को रजिस्टर्ड बैनामा के आधार पर क्रेता के पक्ष में प्रमाणीकरण किये जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 29.12.2020 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 15.12.2020 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर

तहसीलदार
दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

रा.प्र.क्र.//अ-06/वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री बलबीर सिंह राजपूत पिता रुपसिंह राजपूत निवासी ग्राम मुंगेली तहसील व जिला मुंगेली के द्वारा ग्राम पोटियाकला तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 82/4 का टु. रकबा 0.016 हे. भूमि को विक्रेता विश्वास गुप्ता पिता अशोक गुप्ता निवासी ग्राम पोटिया रोड बोरसी दुर्ग से रजिस्टर्ड बैनामा दिनांक 02.03.2020 को क्रय किया गया है। उक्त आवेदित भूमि को रजिस्टर्ड बैनामा के आधार पर क्रेता के पक्ष में प्रमाणीकरण किये जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 30.12.2020 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 15.12.2020 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर

तहसीलदार
दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

रा.प्र.क्र.//अ-06/वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री तोरन कुमार पिता चेतनलाल निवासी ग्राम जगन्नाथपुर तहसील व जिला बालोद के द्वारा ग्राम पोटियाकला तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 82/4 का टु. रकबा 0.009 हे. भूमि को विक्रेता विश्वास गुप्ता पिता अशोक गुप्ता निवासी ग्राम पोटिया रोड बोरसी दुर्ग से रजिस्टर्ड बैनामा दिनांक 27.11.2020 को क्रय किया गया है। उक्त आवेदित भूमि को रजिस्टर्ड बैनामा के आधार पर क्रेता के पक्ष में प्रमाणीकरण किये जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 24.12.2020 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 11.12.2020 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर

तहसीलदार
दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

रा.प्र.क्र.//अ-06/वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री पोषणलाल साहू पिता भारतलाल साहू निवासी ग्राम गुरुर तहसील व जिला बालोद के द्वारा ग्राम पोटियाकला तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 82/4 का टु. रकबा 0.014 हे. भूमि को विक्रेता पार्टनर विश्वास गुप्ता पिता अशोक गुप्ता निवासी ग्राम पोटिया रोड बोरसी दुर्ग से रजिस्टर्ड बैनामा दिनांक 29.08.2020 को क्रय किया गया है। उक्त आवेदित भूमि को रजिस्टर्ड बैनामा के आधार पर क्रेता के पक्ष में प्रमाणीकरण किये जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 29.12.2020 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 15.12.2020 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर

तहसीलदार
दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

रा.प्र.क्र.//अ-06/वर्ष 2020-21
ई.पंजी. 202012100700192

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री त्रिलोक कुमार साहू अन्य 1 पिता श्रीराम साहू निवासी ग्राम सिकोला बस्ती तहसील व जिला दुर्ग के द्वारा ग्राम बोरसी तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 246/3 रकबा 1145 वर्गफीट भूमि को विक्रेता देवकी पिता स्व. जगतराम निवासी ग्राम कदम प्लाजा के सामने बोरसी दुर्ग से रजिस्टर्ड बैनामा दिनांक 09.12.2020 को क्रय किया गया है। उक्त आवेदित भूमि को रजिस्टर्ड बैनामा के आधार पर क्रेता के पक्ष में प्रमाणीकरण किये जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 30.12.2020 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 14.12.2020 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर

तहसीलदार
दुर्ग (छ.ग.)

सबके लिए न्याय

2 साल
बात है अभिमान के
छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान के

बेरोजगारी दर में कमी

बेरोजगार इंजीनियरों को
20 लाख
के कार्य ब्लाक स्तर पर
ई पंजीजन प्रक्रिया से

25 लाख
से अधिक लोगों को प्रतिदिन रोजगार
महात्मा गांधी नरेगा के तहत

20 हजार
स्थायी शिक्षकों की भर्ती

अन्य क्षेत्रों में भी लाखों
लोगों को रोजगार

किसानों-मजदूरों को हक

18 लाख किसानों का
9000 करोड़
का कर्ज़ माफ़

'राजीव गांधी किसान न्याय योजना'
में किसानों के खातों में
5750 करोड़

'गोधन न्याय योजना'
सरकारी दर पर गोबर खरीदने की
योजना, प्रतिमाह औसतन भुगतान
15 करोड़

कृषि भूमि का मुआवज़ा **चार गुना**

नई स्वास्थ्य योजनाएं

डॉ खूबचंद बघेल
स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत
50 हजार से 5 लाख
तक स्वास्थ्य सहायता

मुख्यमंत्री विशेष सहायता
योजना के तहत विशेष जरूरतों पर
20 लाख तक

हर बसाहट में
स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के लिए
मुख्यमंत्री हाट बाजार योजना
मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना
दाई-दीदी क्लीनिक
डॉ राधा बाई डायग्नोस्टिक सेंटर योजना

बिजली बिल हाफ

21 माह में
38.42 लाख
उपभोक्ता को
1336 करोड़
की राहत

वनाश्रितों को वनाधिकार देने में देश में अव्वल

विवरण	वनाधिकार पत्रों की संख्या	भूमि आवंटित
व्यक्तिगत वनाधिकार पत्र	4.41 लाख	9.41 लाख एकड़
सामुदायिक वनाधिकार पत्र	46 हजार से ज्यादा	4.64 लाख एकड़
सामुदायिक वन संसाधन संरक्षण अधिकार पत्र	1300	5 लाख हेक्टेयर